Government Pataleshwar College Masturi
District- Bilaspur (C.G) -495551

Code of Conduct

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण – संहिता सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रेवश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वे शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे।

1. विद्यार्थी शालीन वेश-भूषा में महाविद्यालय में आयेंगे। किसी भी स्थिति में उनकी वेश भूशा उत्तेजक नहीं होनी चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।
3. महाविद्यालय परिसर में वे शालीन व्यवहार करेंगे, अभद्र व्यहवार, असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षको , अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वस्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्र्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेंगे।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित है।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्यार्थी अपनी मांगो का प्रदर्श न आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर करेंगे तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेंगे।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम:

1. प्रत्येक विशय में विद्यार्थी की 75 प्रतिश त उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उन्हें वार्शिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेंगे। उनकों स्वच्छ रखेंगे।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे , उन्हें निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के समाधान लिये वह गुरूजनों के समक्श अथवा प्राचार्य के समक्श शातिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे।
5. व्याख्यान कक्षों , प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

श्रीनिवास पराड़कर

म.प्र/छ.ग

आचरण नियम

M.P./C.G. Civil Services (Conduct) Rules, 1965

राज एजेन्सी
कानूनी पुस्तकों के विक्रेता एवं वितरक
पुस्तक प्राप्ति हेतु संपर्क करें : 9926974663

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

सिविल सेवा आचरण नियम

M.P./C.G. Civil Services (Conduct) Rules, 1965

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना
क्रमांक 77/4785/2001/1/3, दिनांक 27.8.2001 द्वारा यह नियम,
आदेशों सहित अनुकूलित

लेखक
श्रीनिवास पराडकर
(सेवानिवृत्त) म.प्र. वित्त सेवा अधिकारी

प्रकाशक
अमर लॉ पब्लिकेशन
70-71, एम.जी. रोड, रामपुरावाला बिल्डिंग, इन्दौर- 452007
फोन : (दु.) (0731) 2531891, 4074750 (नि.) 4074752
(मो.) 93013-55055, 98270-37713

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
[M.P./C.G. Civil Services (Conduct) Rules, 1965]

विषय सूची

आचरण नियम 1965 के लागू होने बाबत् शासन निर्देश
राज्य शासन के निर्देश-
(1) म.प्र.सा.प्र. वि. क्र. डी-115/68/I/(3) दिनांक 21-7-1977 कार्यभारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये आचरण नियम, 1965 1

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
[M.P./C.G. Civil Services (Conduct) Rules, 1965]

विषय सूची

आचरण नियम 1965 के लागू होने बावत् शासन निर्देश

राज्य शासन के निर्देश-

(1) म.प्र.सा.प्र. वि. क्र. डी-115/68/I/(3) दिनांक 21-7-1977 — कार्यभारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये आचरण नियम, 1965 के प्रावधान लागू। — 1

(2) म.प्र.सा.प्र. वि. क्र. सी-5-1/93/31/दिनांक 15 जुलाई 1993 — स्वायत्त संस्थाओं में आचरण नियम लागू करने बाबत्। — 2

(3) म.प्र.सा.प्र. वि. क्र. सी-5-3/94/3/1/दिनांक 10 अक्टूबर 1994 — मध्यप्रदेश स्वायत्त संस्थाओं में आचरण नियम, 1965 लागू करने के संबंध में। — 2

नियमों से संबंधित निर्देश तथा नियमों के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

नियम 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा प्रयुक्ति — 3

नियमों की प्रभावशीलता के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय:-

(1) प्रत्येक कानून अथवा कानूनी नियम भविष्यलक्षी होता है जब तक कि उसे अभिव्यक्तः अथवा आवश्यक विवक्षा द्वारा भूतलक्षी प्रभाव न दिया गया हो — 4

(2) आचरण नियम-प्रस्तावना-उद्देश्य — 4

(3) सामान्य/विशिष्ट आदेशों को, जब तक विशेष रूप से ऐसा प्रावधानित न हो, इन्हें वैध करने हेतु राजपत्र में प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं- शक्तियों का प्रत्यायोजन — 5

(4) जहाँ नियम नहीं बनाये गए हैं वहाँ सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु प्रशासनिक अनुदेश जारी किए जा सकते हैं — 6

(5) प्रशासनिक अनुदेश सांविधिक नियमों का स्थान नहीं ले सकते — 6

(6) सेवा शर्तों में परिवर्तन- सेवा की प्रकृति सरकार द्वारा पूर्णतः परिवर्तित नहीं की जा सकती — 7

(7) राज्यपाल के अनुदेशों से सेवा नियम संस्थापित नहीं हो सकते — 7

(8) प्रशासनिक अनुदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकते — 7

(9) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के संबंध में जारी स्पष्टीकरण, नियमों के विस्तार के बाहर, अतः स्पष्टीकरण अवैध — 7

(10) सांविधिक नियमों के अनुसार ही प्रशासनिक अनुदेश जारी करना चाहिये — 7

(11) सांविधिक परिशिष्टों को पुस्तकों के सन्दर्भों से नहीं बल्कि केवल प्राधिकारपूर्ण आदेशों द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है — 8

(12) सांविधिक नियमों पर अधिनियम अभिभावी होगा तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत बनाये नियम, अनुच्छेद 73 के अधीन जारी कार्यपालक अनुदेशों में यदि विवाह हो तो, अभिभावी होगा- किन्तु ऐसे अनुदेश जो नियमों या अधिनियमों के पूरक हैं, ये बाध्यकर होंगे 8

(13) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के स्थायी आदेशों के प्रावधान कार्यपालक अनुदेशों से अधिक बल रखते हैं 9

(14) प्रशासनिक अनुदेश/कार्यवाही कब न्यायिक पुनरीक्षण योग्य होते हैं 10

नियम 2

परिभाषाएँ

(Definitions)

1. नियम 11

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश - आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 11

नियम 3

सामान्य (General)

नियम 3-क. तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार 12

नियम 3-ख. शासन की नीति का पालन करेगा 12

1. नियम 12

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश -

(1) आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 13

(2) Government servant's role in the eradication of untouchability 13

(3) Seeking redress in courts of law by Government servants of grievances arising out of their employment or conditions of service. 13

(4) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र. 489/475/I (3)/71 भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 1971 — शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय आवास गृहों को स्थानान्तर के बाद खाली न करना 14

(5) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र. 460/सी. आर./396/एक (3) भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 1971 — विभागीय जांचों में गवाही के लिये शासकीय सेवकों की उपस्थिति । 14

(6) म.प्र.सा.प्र.वि. (6) एफ क्र. 5-1/77/3/1 भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर, 1977 — अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ शासकीय सेवकों का व्यवहार। 15

(7) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.सी. 6-5/86/3/1 भोपाल, दिनांक 8.1.87 — गिरफ्तार किये गये शासकीय सेवक की गिरफ्तारी की सूचना । 15

(8) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.एफ. 18/6/92/जी/19, भोपाल, दिनांक 26.03.1992 — शासकीय आवासों में बिना अनुज्ञा के संशोधन, परिवर्तन एवं अतिक्रमण बाबत । 16

(9) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र. सी.3-107/92/3/1, भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 1993	शासकीय सेवा में नियुक्तियों के संबंध में अविहित स्रोतों से प्राप्त अनुशंसाओं पर कार्यवाही ।	16
(10) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.सी. 5-2/94/3/I, भोपाल, दिनांक 27 अगस्त, 1994	"कार-सेवा" में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ।	17
(11) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.एफ.11(30) 94/1-10, दिनांक 7.11.1994	लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार।	17
(12) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.सी. 6-5/2006/3/1,दिनांक 16-11-06	शासकीय सेवा में आने के लिये गलत जानकारी दी जाने व तथ्यों को छुपाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही।	18
(13) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.सी. 6-6/95/3/एक, भोपाल दिनांक 3.1.96	उच्च स्तर से प्राप्त मौखिक निर्देश/आदेश/हिदायतों की लिखित पुष्टि कराये जाने बाबत।	19
(14) छ.ग.शा.सा.प्र.वि.क्र. एफ-02-01/2014/1-3, दि. 6.2.14	उच्च स्तर से प्राप्त मौखिक निर्देश/आदेश/हिदायतों की लिखित पुष्टि कराना ।	19

नियम 3 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) अवचार की परिभाषा	20
(2) सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता का अर्थ	21
(3) अशोभनीय आचरण	22
(4) अवचार क्या है	22
(5) व्यक्तिगत स्वभाव या व्यक्तिगत कुशलता में कमी, अनुशासनिक कार्यवाहियों के लिये दुराचार का आधार नहीं बनाया जा सकता	23
(6) अवचार सम्यक् स्थायी आदेश अथवा सेवा विनियम में अवश्य ही प्रगणित होना चाहिये तभी किसी कर्मकार को उसके आधार पर दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं- तात्विक तथ्यों को छिपाने का दोष अवचार है	23
(7) 'शासकीय सेवक के लिये अशोभनीय कार्य' का अर्थ सामान्य बुद्धि के अनुसार लगाना चाहिये- परीक्षण	24
(8) लापरवाही के लिये कदाचार- जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि कर्मचारी ने धन के दुर्विनियोजन को सुविधाजनक बनाने में भाग लिया था, तब तक उसको चेकबुक रखने में की गई लापरवाही के लिये अवचार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता	25
(9) कदाचार- यदि कदाचार से दांडिक निष्कर्ष निकलते हैं तो नियोजक इसके लिये बाध्य है कि यह उसे विनिर्दिष्ट तौर पर बताए और यदि आवश्यक हो तो सुनिश्चित ढंग से उसे परिभाषित करे जिससे कि किसी घटना का कोई अधिकृत निर्वचन अवचार न माना जाए	25

(10) कदाचार-कर्मचारी द्वारा दीर्घकालीन निष्कलंक सेवा के दौरान वरिष्ठ अधिकारी के बारे में केवल एक बार अविवेकी अशिष्ट या धमकी देने वाली भाषा के प्रयोग पर पदच्युति का दण्ड अनुपातहीन एवं अत्यधिक-दंड कदाचार के अनुपात में होना चाहिये 26

(11) उच्च अधिकारियों को सीधे अभ्यावेदन प्रस्तुत करना दुराचरण का कृत्य नहीं है

(12) अभ्यावेदन में अपमानजनक तथा निन्दात्मक भाषा का प्रयोग तथ्यों के आधार पर सिद्ध नहीं 28

(13) शासकीय आवास का उपयोग अथवा दुरुपयोग करने हेतु जांच-ऐसी जांच अनुशासनिक जांच नहीं बल्कि घरेलू जांच हो सकती है। शिकमी किरायादार रखने की तिथि से ही मानक किराया अनुज्ञेय 28

(14) अवचार- अनधिकृत रूप से शासकीय आवास रखना क्या आचरण नियम 3 के अंतर्गत अवचार है ? नहीं - आवास रिक्त कराने के लिये अनुशासनिक कार्यवाही तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति करना अनुचित- अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश अपास्त - सभी सेवा लाभ देय 29

(15) नियम 3- ज्ञात आय से अनुपातहीन परिसम्पत्ति का होना- विभागीय जांच- संकीर्ण मनस्त तथा शासकीय सेवक की साक्षिता के आंकलन के मूल्यांकन के विरुद्ध आपत्ति-सूचना 10 प्रतिशत कुशन देने के बाद भी कम से कम रुपये 9,500 की असंगत परिसम्पत्ति रखने का दोषी- आवेदन खारिज 30

(16) कदाचार-ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपातहीन परिसम्पत्ति का रखना- आयकर प्राधिकारियों तथा विभागीय जांच में उठे प्रश्न पूर्णतः भिन्न और विपरीत - अतः आयकर से मुक्त होने पर विभागीय जांच में दोषी पाये जाने का निष्कर्ष प्रभावित नहीं होगा 32

(17) (17-क) विभागीय जांच-कदाचार-ज्ञात आय के स्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति का रखना- साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर अनुशासनिक/अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्ष-न्यायिक पुनर्विलोकन-न्यायालय या अधिकरण साक्षियों पर आधारित निष्कर्षों पर हस्तक्षेप कर अपने निष्कर्ष प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। 33

(ख) लोक सेवक के ज्ञात आय के स्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति रखना-यद्यपि यह वर्गीकरण नियमों के 'दुराचरण के परिभाषा में शामिल नहीं है, किन्तु ऐसा होते हुए भी यदि अपचारी ऐसी परिसम्पत्ति का लेखा देने में असफल रहता है तो इसे दुराचरण माना जाएगा क्योंकि यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के सेक्शन 5(1)(ई) के संघटक का दोषी पाया जाता है तो सजा का भागी होगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का सेक्शन 13 (1) (ई)। 34

(ग) विभागीय जाँच-शास्ति-अनुशासनिक कार्यवाहियों के दौरान पदोन्नति यह लम्बित कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन है और अतः उचित शास्ति अधिरोपित करने में बाधा नहीं डालेगी। 34

(घ) विभागीय जाँच-प्रारंभ करने में विलम्ब-क्या अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है- यह मामले के तथ्यों पर निर्भर होगा-ऐसे मामलों में आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने 34

में समय लगता है अतः संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं होगा।

(18) लोक सेवक की सत्यनिष्ठा विश्वसनीय सारवान् के आधार पर निश्चित होनी चाहिये- ऐसा निश्चय लेने हेतु अनुसरण करने वाली प्रक्रिया 36

(19) न्यायिक/अर्ध-न्यायिक कृत्यों के प्रयोग में अधिकारी द्वारा, लिया गया विनिश्चय अधिकारी के विरुद्ध कब अनुशासनिक कार्यवाहियों का आधार बन सकता है- परीक्षण-क्या विनिश्चय उसके पदीय कर्त्तव्य के विस्तार के भीतर है-यद्यपि सुस्पष्टता त्रुटिपूर्ण निर्णय के मामले में, यदि अपनी शक्ति के अधिकार से लिया गया है, कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं होगी, किन्तु यदि भ्रष्ट या अनुचित उद्देश्य के अनुवर्ती में निर्णय लिया गया है तो अनुशासनिक कार्यवाही होगी। यह प्रत्येक मामले के परिस्थितियों पर निर्भर होगा। इस मामले में निर्णय त्रुटिपूर्ण हो सकता है, किन्तु अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार या असंगत विचार का अभिकथन नहीं है, अतः उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकती 37

(20) आचरण नियम 3 (1) (i), (ii) तथा (iii)- न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक शक्तियों का शासकीय अधिकारी द्वारा प्रयोग करना- यदि अधिकारी किसी व्यक्ति पर अनुचित उपकार लापरवाही या अंधाधुन्ध से प्रदान करता है तो नियमों के उल्लंघन के लिये सरकार अनुशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम है।
अर्ध-न्यायिक कृत्यों का प्रयोग करते हुए निर्णित मामलों में क्या वह अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाहियों से उनमुक्ति का उपयोग कर सकता है- नहीं। प्राधिकार के आदेश की वैधता को अधिनियम के अंतर्गत अपील या पुनर्विलोकन में चुनौती दे सकता है 38

(21) न्यायालय द्वारा अवचार बाबत राज्य सरकार के विवेकाधिकार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता 39

(22) अवचार का एक आरोप सिद्ध होने पर भी शास्ति आदेश कायम रहेगा 40

(23) स्थापित आरोप में अवचार स्पष्ट नहीं- अतः आरोप असफल 40

(24) निजी जीवन में किये गये अवचार हेतु शासकीय सेवक पर शास्ति अधिरोपित करने में राज्य की शक्ति 40

(25) 'अवचार' और 'आपराधिक अवचार' में विभेद 40

(26) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 4 तथा 5 40

(27) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 4 40

(28) अभियोजन चलाने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं 41

(29) कौन से कृत्य अवचार है- 41

(i) धमकी भरा पत्र लिखना 41

(ii) ज्येष्ठ अधिकारी के विरुद्ध असत्य कथन करना 41

(iii) ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति रखना 41

(iv) अनुपस्थित रहना और की गई कार्यवाही के विरुद्ध भूख हड़ताल का सहारा लेना। 41

(v) ट्रक में आग लगाना, असावधानी का पर्याप्त प्रमाण 42
(vi) वाहन से पेट्रोल निकालकर शराब हेतु उसे बेचना 42
(vii) मानमानी यात्रा करना 42
(viii) कार्यालय के बाहर महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करना 42
(ix) झूठी अपराधिक शिकायत लिखाना, कृतक नाम से शिकायत भेजना 42
(x) दूसरे शासकीय सेवक पर प्रहार करना 42
(xi) उचित माध्यम का अनदेखा कर सीधे अभ्यावेदन प्रस्तुत करना 42
(xii) धरना में भाग लेना हड़ताल है, अतः अवचार तहै 42
(xiii) भूख हड़ताल पर बैठना 42
(xiv) ड्यूटी के निर्वहन में लापरवाही/असावधानी 42
(xv) कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति 42
(xvi) बिना लायसेन्स हथियार रखना 42
(xvii) विभागीय निर्देशों के अनुसार काम न करना 42
(xviii) अन्धाधुन्ध वाहन चलाने से क्षति होना 42
(xix) पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व का निर्वहन न करना 43
(30) कौन से कृत्य अवचार नहीं हैं- 43
(i) यूनियन के सचिव की हैसियत से रेल दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में रेल सेवकों की प्रतिक्रियाओं और विचारों का प्रकाशित करना । 43
(ii) गृह निर्माण/स्कूटर अग्रिम का वापस न करना 43
(iii) अनुपस्थिति में ठेकेदार की त्रुटिपूर्ण सेन्ट्रिंग तथा शटरिंग के कारण छत का गिरना । 43
(iv) टेलीफोन यंत्रों को स्टाक से घर ले जाना 43
(v) भूतलक्षी प्रभाव से अवचार के कृत्य लागू नहीं किए जा सकते 43
(vi) बदमाशों ने डाकघर से धनराशि को लूटा, अतः नियम 3(1)(i) तथा (ii) लागू नहीं । 43
(vii) बीमारी के कारण अनुपस्थिति 43
(viii) शासकीय आवास का स्थानान्तर पर रिक्त न करना 43
(ix) अग्रिम या उधार लेने की शर्तों का उल्लंगन करना 43
(x) अर्ध न्यायिक शक्ति के प्रयोग में निर्णय की त्रुटि अवचार नहीं, किन्तु गलत निर्णय के पीछे यदि भ्रष्ट अभिप्राय पाए जाएँ तो अवचार होगा । 44
(xi) कार्यक्षमता का उच्चतम मानदण्ड प्राप्त करने की असफलता 44
(xii) मनमाना निर्धारित लक्ष्य प्राप्य करने की असफलता 44
(xiii) शासकीय आवास में अनाधिकृत रूप से रहना 44
(xiv) आवंटन निरस्त होने के बाद भी आवास खाली न करना 44
(xv) चार यात्रियों को बस टिकट न देना बेईमानी का इरादा नहीं 44
(xvi) अपात्र व्यक्ति द्वारा पदोन्नति स्वीकार करना 44
(xvii) विरोधाभासी बयान देना 44

(31) ड्यूटी के समय ताश खेलने पर हेड कान्सटेबल को सेवा से हटाया गया- पशासनिक अधिकरण ने शास्ति आदेश अपास्त कर बहाली का आदेश दिया- उच्चतम न्यायालय ने शास्ति कठोर पाया- पिछले वेतन की पात्रता न करते हुए सेवा में बहाल करने का निर्णय दिया। 44

नियम 4

शासकीय संरक्षण प्राप्त प्राइवेट उपक्रमों में, शासकीय सेवकों के निकट सम्बन्धियों का नौकरी में रखा जाना

(Employment of near relatives of Government servant in private undertaking enjoying Government partonage

1. नियम 46
2. राज्य शासन के अनुदेश- आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 46

नियम 5

राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना

(Taking part in Politics and Elections

1. नियम 47
2. राज्य शासन के निर्देश-
(1) General Book Circular - Part I, Serial No. 9, Para 4 47
(2) 2904/3763/I (iii)/66, dt. 23.12.1966 Association of Government servants with the activities of R.S.S.S./Jamaat-e-Islami. 48
(3) 498/629/एक (3)/72 दिनांक 23.8.1972 सरकारी कर्मचारियों का अखिल भारतीय मजदूर संघ के कार्यकलापों के साथ साहचर्य। 49
(4) 542/सी.आर. 353/एक (3) दिनांक 14 सितम्बर, 1972 शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक संस्थाओं से संबंध न रखने बाबत। 49
(5) एफ 5-1/74/3/1, दिनांक 15 मई, 1974 शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ प्रान्त संघ के कार्य-कलापों में भाग लेने संबंधी आदेश को निरस्त करना। 50
(6) एफ 5-3/74/3/1 दिनांक 3 सितम्बर, 1974 शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में। 50
(7) एफ 5-3/74/3/1, दिनांक 30 अप्रैल, 1975 शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में। 50
(8) डी. 2/6/1 (3)/78, दिनांक 3 जून, 1978 राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान में शासकीय कर्मचारियों के भाग लेने बाबत। 51
(9) 171/52/1 (3)/81, दिनांक 16 अप्रैल, 1981 शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जमाएत-ए-इस्लामी के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में। 51
(10) 173/165/1/ (3) 81, दिनांक 16 अप्रैल, 1981 शासकीय कर्मचारियों को "आनन्द मार्ग" के कार्य-कलापों के साथ सहाचर्य। 52

(11) 562/1695/एक (3) 81, दिनांक 24 नवम्बर, 1981	शासकीय कर्मचारियों को 'आनन्द मार्ग' के कार्यकलापों के साथ साहचर्य।	51
(12) सी-3-16/88/3/49, दिनांक 22 अगस्त, 1988	शासकीय कर्मचारियों को बहुजन समाज पार्टी बामसेफ डी. एफ-4 के कार्यकलापों के साथ साहचर्य।	52
(13) सी. 5-2/93/1, दिनांक 29 अप्रैल, 1993	शासकीय कर्मचारियों का प्रतिबंधित संगठनों के साथ साहचर्य।	53
(14) एफ-24-19/93/सी/1, दिनांक 20 अगस्त, 1993	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने संबंधी शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	54
(15) एफ. 19-36/94/1/4, दिनांक 23 मार्च, 1994	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 के अंतर्गत निर्वाचनों में आफिसरों द्वारा अभ्यर्थियों के लिये कार्य न करने बाबत निर्देश।	55
(16) 527/567/1 (3)/71 दिनांक 23 सितम्बर, 1997	शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ के कार्यकलापों में भाग लेने संबंधी।	58
(17) सी-5-2/2000/3, दिनांक 30 मई, 2000	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में।	58
(18) सी/5-27/2000/3/एक, दिनांक 14/21-8-2006	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में ।	59
(19) सी.-5-1/2011/3/एक, दिनांक 27 मार्च 2011	शासकीय अधिकारी की किसी राजनैतिक दल, राजनैतिक विद्यार्थी संगठनों के कार्यक्रम में उपस्थिति।	59

नियम 5 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) शासकीय सेवा में आने से पूर्व राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध-मात्र इस आधार पर शासकीय सेवा से हटाया जाना अनुचित कि पुलिस ने यह रिपोर्ट की थी कि वह किसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जनसंघ से सम्बद्ध था — 60

(2) साम्यवादी पार्टी के सदस्यों से संबंध रखना-राजनीतिक पार्टी के कार्यकलापों में रुचि रखना- Civil Service (Safeguarding of National Security) Rules, 1949 का नियम 3 तथा 4- विनाशक कार्यकलापों से संबंध रखना नहीं है, अतः नियम 3 लागू नहीं — 60

(3) केवल रैली में उपस्थित रहना- नियम 5 आकृष्ट नहीं होगा — 62

(4) राजनीतिक मीटिंग में निश्चेष्ट उपस्थिति (passive attendance) होना अनुचित नहीं — 62

(5) शासकीय परिसरों में सभा का प्रतिषेध उचित — 63

नियम 6

प्रदर्शन तथा हड़ताल

(Demonstration and Strike)

1. नियम — 64
2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश

(1) डी. 300/2051/87/ आर-1/चार, 20.6.1988	मूलभूत नियम 17-ए	64
(2) 800-1267-1(3) दिनांक 5 नवम्बर, 1975	शासकीय सेवकों के प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल आदि पर प्रतिबंध।	65
(3) सी-9-2/90/3/1, दिनांक 2 फरवरी, 1991	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में।	66
(4) सी/9-3/93/3/1 दिनांक 2.9.1993	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय में अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में ।	66
(5) सी.-5-2/94/3/1, दिनांक 27 अगस्त, 1994	'कार सेवा' में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।	67
(6) एफ-3-2/1/वे.आ.प्र./98 दिनांक 14 सितम्बर 1998	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में ।	67
(7) एफ 1-3/2002/वि.आ.प्र./1, दिनांक 12 फरवरी 2002	म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ एवं म.प्र. लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा आंदोलन/हड़ताल की सूचना ।	68
(8) 1744/2940/06/1/3, दिनांक 5.08.2006	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में।	68
(9) 3170/3440/2006/1/3 दिनांक 22.11.2006	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के संबंध में ।	68
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश		
(1) एफ 2-3/1/9/2006, दिनांक 10 अप्रैल, 2006	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में ।	70

नियम 6 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) उच्चतम न्यायालय के मतानुसार 'प्रदर्शन के किसी स्वरूप' पर प्रतिबंध, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) तथा (बी) में दिए अधिकारों का उल्लंघन है, हड़ताल पर प्रतिबंध उचित — 72

(2) प्रदर्शन और हड़ताल में अंतर-संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत हड़ताल करना मूलभूत अधिकार नहीं- जब हड़ताल गैरकानूनी घोषित कर दी गई तब इससे सम्बन्धित सभी गतिविधियाँ अवैध- प्रशासनिक शालीनता के हित में जब शासकीय सेवक को हड़ताल से वर्जित किया गया, तब ऐसी कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 असंवैधानिक नहीं । — 74

(3) हड़ताल (बंद) के दिन अनुपस्थित रहना- क्या सेवा में व्यवधान लागू किया जा सकता है ? नहीं । 76

(4) हड़ताल के दौरान अनुपस्थित- चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति - आदेश लोक सेवा हितार्थ में नहीं अतः अपास्त करने योग्य । 76

(5) संगठन या यूनियन बनाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है- ट्रेड यूनियन का काम ही श्रमिकों की आवाज उठाना है- हड़ताल में भाग लेना ट्रेड यूनियन के क्रियाकलाप का एक भाग है, अतः पदच्युत किए गए कर्मचारों को काम पर वापस लेना न्याय के हित में होगा । 77

(6) नियम 6(दो) के अंतर्गत समयोपरि कार्य (overtime work) से इंकार करना हड़ताल है। 77

मूलभूत नियम 17-ए - अप्राधिकृत अनुपस्थिति- सेवा में विच्छेद - नियम की संवैधानिक विधिमान्यता अनुमोदित - यदि समयोपरि कार्य से इन्कार किया जाता है तो इस नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

नियम-7

शासकीय सेवकों द्वारा अवकाश पर प्रगमन
(Proceeding on leave by Govt. Servants)

1. नियम 79

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश 79

(1) 62/1464/I (3).79, 28.01.1980 — अनधिकृत अनुपस्थित की अवधि में कर्मचारी का निलम्बन । 80

(2) सी. 3-12/90/3/49 19.07.1990 — शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति/ अनधिकृत अवकाश आनुशासिक कार्यवाही। 81

(3) सी. 6-36/92/3/1 5.9.1992 — शासकयी सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में । 81

(4) सी. 3-7/1/3/99 25.2.1999 — शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृति 83

(5) सी-6-3/2000/3/एक 2.2.2000 — शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही । 83

(6) सी.6-6/2000/3/एक 16.8.2000 — अनधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही । 84

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश

एफ 3-1/2014/1-3 दिनांक 10-02-2015 — अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही। 85

3. नियम 7 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) ड्यूटी से अनुपस्थिति-स्वीकृति अवकाश के बाद अनुपस्थित रहना- जोधपुर सेवा विनियमन के नियम 13 के अंतर्गत सेवा की समाप्ति अनुचित 87

(2) लम्बी बीमारी के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित-नियमों में ऐसा प्रावधान होने के बावजूद भी अपने आप सेवा समाप्ति नहीं हो सकती 87

(3) न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने के बाद भी सम्बन्धित प्राधिकारियों ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी- 5 वर्षों से अधिक समय की अनुपस्थिति-नियमों के अंतर्गत अपने आप सेवा समाप्ति से अनुच्छेद 311 का उल्लंघन हुआ 88

(4) स्थाई शासकीय सेवक का पांच वर्षों से अनुपस्थित रहना- शासन द्वारा कोई कार्यवाही न करना-पुनः स्थापना हेतु अवमुक्ति-न्यायालय द्वारा दिया जाना 88

(5) पुत्र की बीमारी के कारण, स्वीकृत अवकाश के बाद अनुपस्थित रहना- संवैधानिक प्रावधानों का पालन न करते हुए, नियमों के अंतर्गत अपने आप सेवा का समाप्त करना- अवैधानिक 88

(6) अध्यापक का परीक्षा देने जाना और इसे जानबूझकर अनुपस्थिति मानते हुए सेवा समाप्त करना-आदेश अपास्त 89

(7) अधिकारी बीमारी के कारण अवकाश पर था। स्वस्थता प्रमाण-पत्र उसे न देने के-कारण ड्यूटी पर नहीं लिया गया। इसे जानबूझकर अनुपस्थित रहना मानकर पाँच वेतनवृद्धियाँ रोकने की शास्ति दी गई। ऐसी परिस्थिति में अनुपस्थित मानना अनुचित 89

(8) दुराचरण-स्वीकृत अवकाश के बाद अनुपस्थिति-स्वीकृत अवकाश के पूर्व अवकाश बढ़ाने का आवेदन देना किन्तु इससे इन्कार न करना-दुराचरण का दोषी नहीं-स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति बाबत दी गई नोटिस की स्वीकृति आवश्यक नहीं-मूलभूत नियम 56 तथा केन्द्रीय पेंशन नियम 48(1) 90

(9) ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण आचरण नियम 3(1)(ii) तथा (iii) का जानबूझकर उल्लंघन करने बाबत आरोपित- स्वेच्छया सेवानिवृत्ति अनुज्ञात- सिद्ध आरोप के आधार पर पेंशन तथा उपदान की सम्पूर्ण राशि का रोकना- यह दण्ड अवचार की गंभीरता के अनुरूप न होना, अतः कार्यवाही अवैध तथा अविधिमान्य 91

(10) कर्तव्य से अनुपस्थित अवधि को बिना कारण बताओ नोटिस दिए अकार्य दिवस (dies non) मानना-नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन 92

(11) आकस्मिक अवकाश- कर्तव्य और मुख्यालय से अनुपस्थिति-आकस्मिक अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति हेतु आवेदनपत्र दिया-न स्वीकार और न अस्वीकार किया गया-ऐसी परिस्थितियों में अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप कायम नहीं रखा जा सकता शास्ति आदेश अपास्त 93

(12) अवकाश अवधि से अधिक रुकने पर पदच्युत का औचित्य-जहाँ अवकाश का बढ़ाना अस्वीकार किया गया किन्तु सेवक स्वेच्छा से नहीं बल्कि अप्रतिरोध्य परिस्थितियों के कारण कुछ दिन और अनुपस्थित था, वहाँ पदच्युत अनुचित, लघु शास्ति दी जा सकती है- शास्ति अनुपातहीन। 94

(13) जानबूझकर अनुपस्थित-तथ्यों के आधार पर अभिनिर्धारित, अवकाश स्वीकृत कर जब अनुपस्थिति नियमित कर दिया गया हो तो शास्ति अधिरोपित करने के लिये इसे दुराचरण नहीं माना जा सकता। 94

(14) स्वीकृत अवकाश की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापसी- उपस्थिति रिपोर्ट का य अर्थ नहीं कि स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुम मांगी गई थी। केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 का नियम 24 (1)- म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 का नियम 23 (1)।

(15) प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद ड्यूटी से अनुपस्थित रहना-विभागीय जांच के बाद पदच्युति की शास्ति अधिरोपित-प्रकरण की परिस्थितियों और दुराचरण के स्वरूप के प्रकाश में उच्च न्यायालय ने पदच्युति के स्थान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति अन्तःस्थापित किया। 9

(16) अस्थायी सेवक अपनी सेवा की अधिकांश अवधि में अवकाश पर था- इससे ऐसा प्रदर्शित है कि उसे कार्य में रुचि नहीं है-अतःअस्थायी सेवा नियमों के नियम 5 (1) के अंतर्गत सेवा की समाप्ति का आदेश उचित है। 9

(17) पत्नी की बीमारी के कारण अनुपस्थित रहने के बावजूद सेवा समाप्ति-अनुचित- वर्ष में एक दिन की अनुपस्थिति अनियमित अनुपस्थित नहीं। 96

(18) दुराचरण-जानबूझकर अनुपस्थिति-जब अनुपस्थिति को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर दिया गया तो उस अवधि को जानबूझकर कर अनुपस्थित रहना नहीं कहा जा सकता और शास्ति आदेश कायम नहीं रखा जा सकता। 97

(19) सात दिनों की अनुपस्थिति हेतु सेवक को निलम्बित कर सेवा से पदच्युत किया गया- शास्ति कठोर मानी गई, अतः लगातार सेवा में बने रहने के साथ सभी लाभों सहित बहाल किया गया किन्तु आचरण में सुधार के लिये पदच्युत तिथि से निर्णय की तिथि अर्थात् 4-12-1998 तक वेतन का 50 प्रतिशत पात्रित किया गया। 97

नियम 8

शासकीय सेवकों द्वारा संस्थाओं में सम्मिलित होना

(Joining of Association by Govt. servant)

1. नियम 99

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

2232-160-I (iii)/68 dt. 30.1.1968	Government Servants (Service Association) Rules, 1967	99
(1) 313/मु.स./73 दिनांक 1 मार्च, 1973	कर्मचारी संघों से प्राप्त पत्रों का उत्तर दिया जाना।	99
(2) क्र.एफ 5/6/75/जेसीस/1 दिनांक 28 अक्टूबर, 1973	कर्मचारी संघों से प्राप्त पत्रों का उत्तर दिया जाना।	99
(3) डी क्र. 576/1719/(3)/75 दिनांक 25 अगस्त, 1975	शासकीय सेवकों द्वारा गैर कानूनी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में निर्देश।	101
(4) क्र.102/337/1-15/92 दिनांक 25 जनवरी, 1992	राज्य स्तरीय संघों को शासन के आदेश की प्रतियाँ प्रदान करने एवं उनसे प्राप्त पत्रों का उत्तर देने बाबत।	101

(5) क्र.9-2/92/कक/1-15 दिनांक 4 जुलाई, 1992	राज्य स्तरीय संघों को शासन आदेशों की प्रतियां प्रदान करने, बैठकों में आमंत्रित करने एवं उनसे प्राप्त पत्रों का उत्तर देने बाबत।	102
(6) एफ 5-6/2013/1-15/क.क., दिनांक 25.1.2016	मान्यता प्राप्त संघों की संसोधित सूची जारी करने बाबत् ।	
(7) क्र. 2042/3246/92/1-15 दिनांक 2 नवम्बर, 1992	एक कर्मचारी संघ के सदस्यों के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना संबंधी एक विधिक आपराधिक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई उक्तियाँ।	105
No. 2456-1549-I (iii),	Madhya Pradesh Government Servants (Recognition of Service Associations) Rules, 1959	112
(8) सी. 5-2/94/3/1 दिनांक 27 अगस्त, 1994	'कारसेवा' में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ।	114
(9) क्र. सी. 5-1/97/3/1 दिनांक 20 फरवरी, 1998	शासकीय सेवकों द्वारा अखिल भारतीय वामपंथी मोर्चा संघ की गतिविधियों में भाग न लेना ।	115

नियम 8 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) संविधान का अनुच्छेद 19(1)(सी)- शासकीय सेवकों को संघ (Association) बनाने का अधिकार है 116

(2) उच्चतम न्यायालय के मतानुसार 'प्रदर्शन के किसी स्वरूप' पर प्रतिबंध, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) तथा (बी) में दिए अधिकारों का उल्लंघन है- हड़ताल पर प्रतिबंध उचित 119

(3) संघ या यूनियन बनाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है- ट्रेड यूनियन का काम ही श्रमिकों की आवाज उठाना है- हड़ताल में भाग लेना ट्रेड यूनियन के क्रियाकलाप का एक भाग है- अतः पदच्युत किए गए कर्मकारों को काम पर लेना न्याय के हित में होगा 119

नियम 9

प्रेस तथा अन्य मीडिया से सम्बन्ध

(Connection with Press or other media)

1. नियम 120

2. मूलभूत नियमों में प्रावधान मूलभूत नियम 48 120

म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

GBC Part I, Sl.No. 9	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक निर्देश	125
(1) 6644/748/1(3)/69, दिनांक 16 अप्रैल, 1969	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि ।	125

(2) एम/15/147/73/4/1 दिनांक 7 अगस्त, 1973	शासकीय कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिकाओं पर शासकीय अधिकारियों के नाम न लिखे जाने के संबंध में ।	126
(3) 1796/मुस./73 दिनांक 7.12.1973	सार्वजनिक समारोह, उद्घाटन, शिलान्यास समारोह आदि में शासकीय कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के संबंध में ।	1
(4) 256/मुस/76, दिनांक 8 अप्रैल, 1976	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास बाबत् ।	127
(5) 319/मुस./76 28.04.1976	शासकीय अधिकारी द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स बुलाना	127
(6) क्र. एम. 15/78/76/4/1 दिनांक 20 सितम्बर, 1976	प्रतिमा स्थापना के संबंध में ।	127
(7) क्र. एम. 15-52/77/4/1 दिनांक 23 अगस्त, 1977	पुल, भवन, बांध आदि के उद्घाटन के लिए खर्च की स्वीकृति देने बाबत ।	129
(8) क्र. 2259/1665/1(4)/81 दिनांक 23 अप्रैल, 1981	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि के संबंध में ।	129
(9) क्र. एम. 23-27/81/4/1 दिनांक 5 दिसम्बर, 1981	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि के संबंध में ।	129
(10) क्र. एम. 19-246/85/1/4	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	130
(11) क्र. एम. 19-95/87/1/4 दिनांक 23 अप्रैल, 1987	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार कराना ।	130
(12) क्र. एम. 19-69/88/1(4) दिनांक 7 अप्रैल, 1988	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	130
(13) क्र. एम. 19-69/88/1(4) दिनांक 7 अप्रैल, 1988	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	131
(14) क्र. एम. 19-58/92/1/4 दिनांक 30 जुलाई, 1992	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	131
(15) क्र. एम. 19-146/1992/1/4 दिनांक 25 जनवरी, 1994	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन, अनावरण, शिलान्यास इत्यादि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	131
(16) क्र. एम. 19-58/1992/1/4 दिनांक 23 मई, 1995	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	132

(17) क्र. एम. 19-44/1995/1/4 दिनांक 29 मई, 1995 — शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना। 132

(18) क्र. एम. 19-115/1998/1/4 दिनांक 17 अगस्त 1998 — शासकीय आयोजनों के संबंध में। 133

(19) क्र. सी. 3-19/2000/3/एक दिनांक 12 जुलाई, 2000 — शासकीय अधिकारियों द्वारा समाचार-पत्रों/दूरदर्शन में समाचार का प्रकाशन/प्रसारण। 133

नियम 9 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) साहित्यिक कार्य प्रकाशित कराने हेतु अनुमति-न्यायिक अधिकारी द्वारा संविधि (Statute) से संबंधित कानून की व्याख्या के प्रकाशन हेतु अनुमति-यद्यपि इसका प्रकाशन नियम 9 के अंतर्गत नहीं आता तथापि उच्च न्यायालय पुनः विचार करें 134

(2) यूनियन के सचिव द्वारा रेलवे की दुर्घटनाओं बाबत कर्मचारियों की प्रतिक्रिया तथा विचार लिखतना अवचार नहीं है 134

नियम 10

शासन की आलोचना

(Criticism of Government)

1. नियम 135

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

(1) म.प्र. सामान्य पुस्तक परिपत्र में सम्मिलित निर्देश 135

3. नियम 9 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) भाषा विवाद सम्बन्धी भाषण पर अनिवार्य सेवानिवृत्त- अभिनिर्धारित संविधान के अनुच्छेद 19(2) के प्रावधान लागू नहीं अतः शास्ति आदेश निरस्त 137

(2) नियुक्ति- निरर्हिता (Disqualification)- आपातकाल में एक अवसर पर नारेबाजी हेतु भारत सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराया गया- इसे छिपाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त- अनुचित 137

(3) केन्द्रीय आचरण नियम 9 का दूसरा परन्तुक (म.प्र. आचरण नियम 10 का दूसरा परन्तुक) - शासन की आलोचना - क्या आल इंडिया रेडियो के स्टाफ को रेडियो पर व्यक्तिगत शिकायतों पर प्रकाश डालने के लिए दूसरे परन्तुक के अंतर्गत छूट प्राप्त है ?- अभिनिर्धारित नहीं 137

(4) सरकार की आलोचना-अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 नियम 7(i) [म.प्र. आचरण नियम, 10(i)]- संवैधानिक वैधता- अभिनिर्धारित, शासकीय सेवक को वाक्-स्वतंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्र्य (Freedom of Speech and Expression) तथा किसी वृत्ति या उपजीविका (any profession or occupation) का अधिकार है- नियम 7(i) द्वारा लागू प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) नहीं रोकता क्योंकि सरकार की नीति की प्रत्येक आलोचना लोक व्यवस्था (public order) को प्रभावित नहीं करती-तथापि अनुच्छेद 19(6) इस नियम का निवारण करता है क्योंकि नियम में लगाए प्रतिबंध को लोकहित में कहा जा सकता है। 139

नियम 7(i) मि.प्र. आचरण नियम 10(i)] का अर्थ यह लगाया जाएगा कि शासकीय सेवक सेवा शर्तों से सम्बन्धित मामलों पर अपनी शिकायतों पर संगम (association) द्वारा सरकार की आलोचना कर सकते हैं किन्तु सरकार की ऐसी नीतियों या कृत्यों के बारे में जो उनसे सम्बन्धित न हों, ऐसा नहीं कर सकते। 139

(5) आचरण नियमों में जो प्रतिबंध लगाये गये हैं वे उचित हैं- बिना अनुमति के राज्यपाल को पत्र लिखना, नियोजक-निगम पर कुप्रकार्य (malfunctioning) का अभिकथन करना- तथ्यों के आधार पर अधिरोपित शास्ति उचित। 142

नियम-11

समिति या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष साक्ष्य

(Evidence before a Committee or any other Authority)

1. नियम 143

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश- 143

(1) पुस्तक परिपत्र भाग दो, न्यायालय द्वारा शासकीय सेवक को साक्ष्य देने के प्रयोजन से शासकीय दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाये जाने पर अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया 144

(2) मूलभूत नियम 112 तथा 113 साक्ष्य देने, विभागीय जाँच पर उपस्थित होने अथवा दीवानी या फौजदारी दोषारोप के उत्तर देने हेतु यात्रा बाबत। 147

नियम 12

अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना

(Unauthorised Communication of Information)

1. नियम। 154

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश- 154

पुस्तक परिपत्र भाग-1, क्र. 9 आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक निर्देश 154

पुस्तक परिपत्र भाग-2, क्र. 1 शासकीय पत्र व्यवहार 154

(1) क्र. एफ-11/18/98/9/एक दिनांक 3 फरवरी, 1999 शासकीय पत्राचार में अधिकारियों द्वारा अपने नाम और पद का स्पष्ट उल्लेख करने बाबत। 157

(2) क्र. सी 5-1-96-3-एक दिनांक 27 मार्च, 2001 शासकीय सेवकों द्वारा अपने हित में शासकीय दस्तावेजों का दुरुपयोग। 157

(3) क्र. सी-5/2/2008/3/एक दिनांक 24.10.2008 म.प्र. सिविल सेवा आचरण-नियम, 1965 में संशोधन। 158

(4) क्र. सी-5-2-2008-3-एक दिनांक 27 सितम्बर, 2008 शासकीय सेवकों द्वारा अपने हित में शासकीय दस्तावेजों का दुरुपयोग। 158

3. नियम 12 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) नियम की संवैधानिकता 159

नियम 13

चन्दा

(Subscription)

1. नियम		160
2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश		160
(1) पुस्तक परिपत्र भाग 1, क्र. 9	सामान्य पुस्तक परिपत्र में सम्मिलित निर्देश	160
(2) पुस्तक परिपत्र भाग दो, क्र. 10	जनहित के कामों के लिए चन्दा तथा दान इकट्ठा करना	161
(3) क्रमांक 388-मु.स/76, दिनांक 6-5-1976	शासकीय अधिकारियों द्वारा चन्दा एकत्र करने के बारे में।	163
क्रमांक 5214/5754/(4), दिनांक 21-9-1981	तदैव	163
क्रमांक 6108/1 (4), दिनांक 18-10-1982	तदैव	163
(4) क्रमांक एफ. 8-39/88/9/49, दिनांक 21-4-1989	शासकीय अधिकारियों द्वारा जनहित के कार्यों के लिये चन्दा एवं दान एकत्रित यिा जाना तथा दानदाताओं के नाम पर शासकीय भवनों एवं संस्थाओं का नामकरण	166
(5) क्र. एफ-11-21/92/9/1,	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 शासकीय सेवकों द्वारा चन्दा इत्यादि एकत्र न किये जाने के संबंध में निर्देश।	167
(6) क्र. एफ-19-134/2000/1/4, दिनांक 12-9-2000	शासकीय अधिकारियों द्वारा जनहित के कार्यों के लिए चन्दा/दान एकत्रित किया जाना तथा दानदाताओं के नाम पर शासकीय भवनों एवं संस्थाओं के नामकरण संबंधी नियमों के सरलीकरण बाबत।	168

3. नियम 12 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) दान संग्रह- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम का कोई कर्मचारी किसी न्यास अथवा अन्य संगठन के लिए अपने नियोजन के दौरान सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों से दान संग्रह नहीं करेगा क्योंकि इससे दूषित और हानिकारक परिणाम निकलने की संभावना है — 169

(2) आरक्षकों द्वारा रिट-याचिका फाइल करने के लिए आपस में चन्दा करना- अवचार नहीं है- प्रत्येक नागरिक न्यायालय पहुँचने के लिए स्वतंत्र है-रिट याचिका खर्चों सहित स्वीकार, आरोपपत्र अपास्त — 169

नियम 14

उपहार

(Gifts)

1. नियम 17

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश- 171

(1) G.B.C. part I, Sl. No. 9 Para 9 — सामान्य पुस्तक परिपत्र में सम्मिलित निर्देश 172

(2) क्र. 375/सी.आर. 309/1(3) दिनांक 30 जून, 1972 — निकट संबंधियों से प्राप्त उपहार की सूचना देना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 173

(3) एफ. सी-5-1/2000/3/एक दिनांक 19.4.2000 — शासकीय व्यय पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं/सुविधाओं पर प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली मुफ्त उपहार/सुविधा शासन के खाते में जमा करने बाबत ।

नियम 15

शासकीय सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन

(Public demonstration in honour of Govt. Servants)

1. नियम 174

2. राज्य शासन के निर्देश- 174

(1) G.B.C. Part I, Sl. No. — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक अनुदेश 174

(2) मूलभूत नियम 74(ए) के अंतर्गत पूरक नियम — चरित्र प्रमाण-पत्र देने का नियम- मूलभूत नियम 74(ए) का पूरक नियम 32 175

(3) मूलभूत नियम 74(ए) का पूरक नियम — शासकीय सेवकों की समाप्ति पर सेवापुस्तिका का निपटारा। 175

(4) No. 7190-9221-I/57, — Public demonstrations in honour of Government Servants-Clarification of provisions contained in Government Servant's Conduct Rules. 176

नियम-16

प्राइवेट कारबार या नियोजन

(Private business or employment)

1. नियम 177

2. राज्य शासन के निर्देश- 178

G.B.C. part I, Sl. No. 9 Para 11 and 21 — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक निर्देश 178

21-B. पुस्तक परिपत्र, भाग-एक, क्रमांक -11

क्रमांक 822-8279-एक, दिनांक 25-1-58 — सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी की तबदीली 181

दौरान, बिना अनुमति प्राप्त किए, निजी नियोजन में काम करना.- आरोप सिद्ध, सेवा से हटाने का आदेश कायम रखा गया

(3) केन्द्रीय आचरण नियम 15(1)- जानबूझकर अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहना तथा बैंक में काम करना और वेतन प्राप्त करना- अभिनिर्धारित, गंभीर अवचार के लिए पदच्युत उचित 196

(4) केन्द्रीय आचरण नियम 15(1)- सेवा से जानबूझकर परित्याग-कार्यालय के माध्यम से बिना आवेदन भेजे विदेशिक नियोजन तलाश करना-शासकीय सेवक का अशोभनीय आचरण-तथ्यों पर नियम 15(1) के अन्तर्गत अवचार सिद्ध नहीं 197

(5) कार्यालय में निजी कार्य करना व्यापार या कारोबार नहीं है 198

नियम 17

विनियमन, उधार देना या उधार लेना
(Investment, Lending and Borrowing)

1. नियम 199

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश- 200

GBC Part I, Sl. No. 9 Para 12 — म.प्र. सामान्य पुस्तक परिपत्र के निर्देश 200

3. नियम 17 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय- 201

(1) नियम का अन्तर्निहित सिद्धान्त 201

(2) ऋणग्रस्तता का तात्पर्य आदत से है, एकल दृष्टान्त पर आधारित नहीं होगा 201

(3) जब तक अवांछनीय तथा असंयमित आदतों के परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता की आदत न हो, कार्यवाही नहीं करना चाहिए 202

(4) नियम 7(4)(ए)- 'पदीय संव्यवहार होने की संभावना' (likely to have official dealings) का उच्चतम न्यायालय द्वारा परीक्षण 202

(5) नियम 17(4) (एक) (ए)- ऐसे मित्र से उधार लेना जिससे शासकीय सेवक का पदीय संव्यवहार न हो और उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर भी न हो, आचरण नियमों का उल्लंघन नहीं होगा

नियम 18

ऋण शोध क्षमता तथा स्वभावतः ऋण ग्रस्तता
(Insolvency and habitual indebtedness)

1. नियम 204

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश- 204

GBC Part I, Sl. No. 9 Para 13 — पूरक हिदायतें 204

3. नियम 18 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) ऋणग्रस्तता का तात्पर्य स्वभावतः से है, एकल दृष्टान्त पर आरोप आधारित नहीं होगा 205

(1) क्रमांक 336/1174 (3)/76, दिनांक 16 अगस्त, 1976	शासकीय सेवकों के आवेदन-पत्र अन्य उच्च पदों के लिये अग्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	185
(2) डी. क्रमांक 388/1174/1(3)/76, दिनांक 16 अगस्त, 1976	शासकीय सेवकों के आवेदन-पत्र अन्य उच्च पदों के लिये अग्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	185
(3) क्रमांक 453/712/1 (3)-79, दिनांक 12-11-1979	राज्य सरकार के अधीन सेवा कर रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को अग्रेषित किये जाने बाबत।	186
(4) क्रमांक 626/2078/1//(3)/81, दिनांक 22-12-1981	बैंकों की सेवाओं में भर्ती के लिये हरिजन, आदिवासी शासकीय कर्मचारियों को सीधे आवेदन-पत्र दिये जाने की छूट प्रदान करने बाबत।	187

21-C. पुस्तक परिपत्र, भाग-एक, क्रमांक - 12

छुट्टी पर रहने वाले अधिकारियों को गैर सरकारी नौकरी को स्वीकार करने की अनुमति देना 18

21-D. पुस्तक परिपत्र, भाग-दो, क्रमांक - 10

जनहित कार्यों के लिये चन्दा तथा दान इकट्ठा करना

(1) Mem.No. 9019-5116-1 dt. 8th July, 1957	Opportunities for Government Servants to improve their educational qualifications.	191
(2) Mem.No. 413-2681/I(iii)/61 9th Feby, 1961	Dealings of a Government Servant with a registered Co-operative Society	192
(3) Mem.No. 2412-1270-I(iii)/61 22nd September, 1961	Permission for attending classes in educational institution and taking higher examinations.	192
(4) Mem.No. 137/19887/I(iii)/64 15th Janaury, 1965	Recognition of Technical and Professional Qualifications.	192
(5) क्र. 410/462-1(3)/72 दिनांक 13 जुलाई, 1972	शासकीय सेवकों द्वारा बिना शासन की अनुमति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधी।	193
(6) क्र. 713/75 दिनांक 28 जुलाई, 1975	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दूध बेचने का धंधा करने पर रोक लगाने के बारे में।	193
(7) क्र. सी-3-30/84/3/1 दिनांक 15 नवम्बर 1984	शासकीय सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत।	194
(8) क्र. सी-12-24/91/3/1 दिनांक 21 जनवरी, 1992	शासकीय सेवकों, परिवार के सदस्यों, उनके रिश्तेदारों द्वारा शासकीय आवास गृहों में व्यवसाय करने पर प्रतिबंध।	194
(9) क्र. सी-5-5/92/3/1 दिनांक 20 अगस्त, 1992	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा निजी व्यापार या नौकरी करने की सूचना देने के संबंध में।	195

3. नियम 16 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार या कारोबार' का अर्थ 195

(2) केन्द्रीय आचरण नियम 15 तथा मूलभूत नियम 11- सरकार के नियोजन के 195

(2) जब तक अवांछनीय तथा असंयमित आदतों के परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता की आदत न हो, कार्यवाही नहीं करना चाहिए 205

(3) ऋणग्रस्तता-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1), (ख) तथा (ख) यदि कोई अधिकारी सामान उधार लेता है (भले ही उसकी कीमत अदा करने का उसका इरादा न भी रहा हो) तो इसे बिना प्रतिफल के मूल्यवान वस्तु अभिप्राप्त करना नहीं कहा जा सकता- माल उधार लेना 'धनीय फायदा' अभिप्राप्त करने की कोटि में नहीं आता 205

नियम 19

जंगम स्थावर तथा अन्य मूल्यवान सम्पत्ति

(Movable, Immovable and Valuable Property)

1. नियम 207

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

(1)	GBC Part I, Sl. No. 9, para 14	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक निर्देश	211
(2)	Mem. No. 1933-1505/I(iii)/60 dt. 27th August, 1960	Immovable property Form of return prescription of and instructions regarding.	212
(3)	Memo No. 614-1131/I(iii)/60 27th Feb., 1961	Purchase and disposal of immovable property by Government Servants	213
(4)	Memo No. 204/49/I (iii) dated the 25th January, 1962	Immovable Property Transactions relating to	214
(5)	Memo No. 1857/CR-227/I (iii)/62 dt. the 22.8.1962	Immovable Property Transactions relating to.	215
(6)	Memo No. 2351/1734/I(iii)/62 9th November, 1962	Immovable Property returns prescribed under the Conduct Rules- Maintenance of	215
(7)	क्र. 1950/2521/1 (3)/65, दिनांक 15 सितम्बर, 1965	म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत मकान बनाने या उसका विस्तार करने के लिए जमीन व सामान खरीदने की सूचना विहित प्राधिकारी को देने के लिए फार्म।	216
(8)	क्र. 24930/2992/एक(3) दिनांक 22 नम्बर, 1968	शासकीय सेवकों द्वारा जंगम और स्थावर संपत्ति खरीदी और बिक्री करने के लिए प्रक्रिया।	218
(9)	क्र.-420/1019/1(3) दिनांक 9 जून, 1969	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत से जंगम संपत्ति के लेन-देन करने के संबंध में अनुदेश।	219
(10)	क्र. 174/278/एक (तीन)/74 दिनांक 7 मार्च, 1974	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेश का पालन करना।	219
(11)	एफ. क्रमांक सी-5-1-83-3-एक दिनांक 1 नवम्बर, 1983	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965- नियम 19(4) - अचल सम्पत्ति का विशेष विवरण (Special Return) प्रस्तुत करने के संबंध में।	220

(12) एफ. क्रमांक सी-5-1/85/3-1 दिनांक 6 मई 1986	शासकीय सेवकों द्वारा चल एवं अचल संपत्ति का क्रय-विक्रय बाबत ।	221
(13) क्र. 657/231/86/6/एक	म.प्र. राज्य सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टरों के कार/स्कूटर अग्रिम स्वीकृत करने के पूर्व शासन के सूचना की अभिस्वीकृति या अनुमति प्राप्त करने के संबंध में ।	222
(14) क्र. सी-5-1/94/3/एक दिनांक 5 जनवरी, 1994	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेशों का पालन करना ।	223
(15) क्र. सी-3-26/2000/3/एक दिनांक 27 सितम्बर, 2000	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध मे ।	223
(16) क्र.सी.- 5-1/2002/3/एक, दिनांक 4-5-2002	शासकीय सेवक को चल-अचल संपत्ति का अर्जन अथवा निर्माण करने के सम्बन्ध में आचरण नियमों के अंतर्गत स्वीकृति देने के सम्बन्ध में।	223
(17) क्र. सी-5-1/2010/3/एक, दिनांक 15 फरवरी, 2010	शासकीय सेवकों के अचल सम्पति विवरण कम्प्यूटर वेवसाइट पर उपलब्ध कराना।	224
(18) क्र. सी-5-1/2010/3/एक दिनांक 01 मई 2010	शासकीय सेवकों के अचल सम्पति विवरण कम्प्यूट वेवसाइट पर उपलब्ध करना ।	24
(19) क्र. सी-5-1/2010/3/एक दिनांक 3 मई 2010	शासकीय सेवकों के अचल सम्पति विवरण कम्प्यूटर वेसाईट पर उपलब्ध कराना।	---
(20) क्र. सी-5-1/2010/3/एक दिनांक 14 मई 2010	शासकीय सेवकों के अचल सम्पति विवरण कम्प्यूटर वेवसाईट पर उपलब्ध कराना।	227
(21) क्र. सी-5-1/2010/3/एक दिनांक 01 जुलाई 2010	शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण का वेवसाईट पर अपलोर्डिग।	227
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश-		
(1) क्र. एफ -11-1/2009/1-3 दिनांक 8-9-2009	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गए आदेशों का पालन करना ।	228
(2) क्र. 174/278/एक (तीन)/74 दिनांक 07 मार्च 1974	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किए गए आदेश का पालन करना।	229
(3) क्र. एफ-सी-5-1/94/3/एक दिनांक 05-01-1994	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गए आदेशों का पालन करना।	229
(4) क्र.सी. 3-26/2000/3/एक दिनांक 27-09-2000	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा वार्षिक अचल संपति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में ।	230

(5)	क्र. एफ -2-1/2012/1-3 दिनांक 18.04.2013	अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।	230
(6)	क्रमांक 356/366/2008/एक/4, दिनांक 5/3/2014	शासकीय सेवा में नियुक्ति- शासकीय सेवकों से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अंतर्गत घोषणा-पत्र प्रेषित करने बाबत्।	231
(7)	क्र. एफ -10-7/2003/1/5 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005	माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों से शासकीय अधिकारियों द्वारा सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार और लोक महत्व के मामलों में तथ्यात्मक जानकारी का प्रदाय-समेकित अनुदेश।	231
(8)	688/एल-17/2/ब-4/चार/2003 दिनांक 23 दिसम्बर, 2005	वर्ष 2005-2006 के लिये राज्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर।	232
(9)	क्र.10-7/2003/1/5 दिनांक 4 जुलाई, 2006	माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों से शासकीय अधिकारियों द्वारा सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार और लोक महत्व के मामलों में तथ्यात्मक जानकारी का प्रदाय-समेकित अनुदेश।	232
(10)	No. 11013/6/2005-Estt. (A) Dated the 16th June, 2006	Observance of courtesy by officers in their dealings with MPs and MLAs.	232

3. नियम 19 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) ज्ञात आय स्रोतों के अनुपात से यदि अर्जित जायदाद अधिक हो तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि बेईमानी से अवैध अर्जित की गई — 23?

(2) (अ) अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा विक्रय-बेनामी लेन-देन नियम 18(2) तभी लागू होगा, जब शासकीय सेवक द्वारा सम्पत्ति का अर्जन या विक्रय बेनामी किया जाए। यदि शासकीय सेवक के परिवार का कोई सदस्य वास्तव में स्वामी के विक्रय या अर्जन से यह नियम शासकीय सेवक पर लागू नहीं होगा-इस नियम के अंतर्गत दुराचरण सिद्ध करने के लिए बेनामी लेनदेन की सभी शर्तों को सिद्ध करना पड़ेगा। — 233

(3) (ब) पति-पत्नी (Spouse) अथवा शासकीय सेवक के परिवार के किसी दूसरे सदस्य द्वारा अपने धन (स्त्रीधन, उपहारों, दायप्राप्ति इत्यादि) से अपने नाम सम्पत्ति क्रय की जाये तो नियम 18(2) तथा (3) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात् शासकीय सेवक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा — 234

(4) आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति-स्पष्टीकरण की असफलता- भ्रष्टाचार की परिकल्पना-अभिनिर्धारित, (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 का सेक्शन 5(3) विभागीय कार्यवाहियों में भी लागू, (2) सेवक को परिसम्पत्ति का स्पष्टीकरण सन्देह से परे देना होगा- वाउचरों सहित आय-व्यय के सम्पूर्ण लेखे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि संयुक्त परिवार में ऐसा प्रस्तुतीकरण बहुत कठिन है।

(5) आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति-स्पष्टीकरण की असफलता-भ्रष्टाचार की परिकल्पना-अभिनिर्धारित, (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 का सेक्शन — 236

5(3) विभागीय कार्यवाहियों में भी लागू, (2) सेवक को परिसम्पत्ति का स्पष्टीकरण सन्देह से परे देना होगा- वाउचरों सहित आय-व्यय के सम्पूर्ण लेखे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि संयुक्त परिवार में ऐसा प्रस्तुतीकरण बहुत कठिन है। आय के 10 प्रतिशत से कम अनुपातहीनता को छोड़ना होगा- अनुपातहीनता केवल 2.50 प्रतिशत ही है अतः भ्रष्टाचार का आरोप कायम नहीं । चल सम्पत्ति की जानकारी देना अनिवाय- जानकारी न देना इतना गंभीर दुराचरण नहीं कि पदच्युत किया जाए- परिनिन्दा पर्याप्त ।

(4) नियम 19(2)- शासकीय सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना न तो स्वयं अपने नाम से और न ही अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से कोई स्थावर सम्पतित्त क्रय करेगा और न विक्रय ही । पूर्व मंजूरी भी लेना आवश्यक है- मकान क्रय करने के लिए अग्रिम बाबत् निवेदन करने का तात्पर्य नियम 19(2) की शर्तों के अनुसार, पूर्व जानकारी देना नहीं है । 238

नियम 20

शासकीय सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोष सिद्ध किया जाना

(Vindication of Acts and Character of Government Servants)

1. नियम 239

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

GBC, Part I, Sl. No. 9 आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 239

3. नियम 20 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 17- सेवा के सदस्यों के कार्यों और चरित्र के विरुद्ध दोष के प्रतिकार हेतु सदस्यों पर अवरोध-किसी समारोह में दिया गया भाषण उसका पदीय कार्य नहीं माना जाएगा और व्यक्तिगत हैसियत में किए गए कार्य नियम 17 द्वारा लगाए गए अवरोध के क्षेत्र से बाहर होंगे- अतः नियम 17 आकर्षित नहीं होगा

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 का सेक्शन 3 (क्यू) (पाँच)-सेवा के मामले-सरकार के CrPC के सेक्शन 197 के अंतर्गत स्वीकृति देने से इन्कार करने के संबंध में शिकायत-अधिनियम के क्लाज (पाँच) के अन्तर्गत सेवा का मामला नहीं- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 17 भी लागू नहीं। अतः याचिका निरस्त 241

नियम-21

अशासकीय व्यक्ति का प्रचार या अन्य प्रभाव डालना

(Canvassing of Non-official or other Influence)

1. नियम 243

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

GBC, Part I, Sl. No. 9 आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 243
Para 16

3. नियम 21 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) No. 16080-2375/I (iii), 6th August, 1959 — Transfers and postings of Government servants — 243

(2) No. 279/272/I (iii)/65 5th February, 1966 — Transfers and postings of Government servants. — 244

(3) क्रमांक 1575/1964/एक (3) दिनांक 27 सितम्बर, 1969 — शासकीय कर्मचारियों द्वारा बिना अनुमति के मुख्यमंत्री जी से अपने सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में मुलाकात करने के बारे में अनुदेश। — 244

(4) क्रमांक 555/220/एक (3), दिनांक 20 फरवरी, 1970 — शासकीय सेवकों द्वारा अभ्यावेदनों की प्रतियाँ ऐसे अधिकारियों को भेजना जिनका उन पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण न हो। — 245

(5) क्र. 1272/प्रसको/70, दिनांक 12 नवम्बर, 1970 — शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डालना। — 245

(6) एफ क्र. सी/13-14/73/3/1 — सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में। — 246

(7) एफ. क्र. 5-6/77/3/1, दिनांक 4 जुलाई, 1977 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना, इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना। — 246

(8) एफ. क्र. 5-6/77/3/1 दिनांक 29 जुलाई, 1977 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना। — 246

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश-

(1) क्र.एफ-1-2/2003/1/3 दिनांक 2 जून 2004 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तरण, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना। — 247

(2) क्र.एफ-5-6/77/3/1, दिनांक 4 जुलाई, 1977 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना, इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना। — 248

(3) क्र.एफ-2-1/2003/1/3 दिनांक 16 जून 2003 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना। — 248

नियम 21 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय- स्थानान्तर पर राजनीतिक दबाव डालना — 249

नियम-22

द्विविवाह

(Bigamous Marriage) — 250

1. नियम — 250

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश GBC, Part I, Sl. No. 9 Para 17 — 250

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश-

(1) क्र. एफ 2-1/2004/1-3 दिनांक 28 जून, 2006 — कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त का अनुपालन। — 250

(2) क्र. एफ-02-01/2004/1-3 दिनांक 10 अप्रैल, 2013 — कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन। 251
No. 1482-945/I (iii)/61 6th June, 1961 — Plural marriages-Requests of Government servants for permission to remarry while first wife is still living. 252

3. नियम 22 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) आचरण नियम में पत्नी के जीवित रहते दूसरे विवाह के लिये अनुज्ञा प्राप्त करना मुस्लिम समुदाय के शासकीय सेवकों के लिये लागू है और नियम वैध है 252

(2) बिना अनुमति के मुस्लिम शासकीय सेवक द्वारा तीसरा विवाह करना-चूंकि मुस्लिम स्वीय विधि में ऐसा विवाह अनुज्ञेय है अतः शास्ति कठोर है-एक वेतनवृद्धि रोकना पर्याप्त 253

(3) एक शासकीय सेवक का दूसरे शासकीय सेवक से द्विविवाह करना-आचरण नियम का उल्लंघन-सेवा से पदच्युत करना उचित-शास्ति की मात्रा का न्यायिक परीक्षण 254

(4) बिना अनुमति के दूसरा विवाह करना-आरोप अस्पष्ट तथा कहे-सुने बयानों पर विश्वास का प्रभाव-विभागीय जांच में प्रमाण का मापदण्ड 254

(5) द्विविवाह का आरोप-विभागीय जांच-विभागीय कार्यवाही के सीमित उद्देश्य के लिये दूसरे विवाह के प्रश्न को परीक्षण से विभागीय प्राधिकारियों को रोका नहीं जा सकता। पदच्युत आदेश के प्रचलन को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर स्थगित करना कि दूसरे विवाह का प्रश्न विभागीय प्राधिकारियों के निर्णय पर नहीं छोड़ा जा सकता,उचित नहीं था-अभिनिर्धारित, विभागीय कार्यवाहियों के बाद अपचारी अपने वैवाहिक स्थिति (matrimomat status) हेतु सिविल या वैवाहिक न्यायालय जा सकता है। 255

(6) पत्नी के जीवित रहते दूसरी स्त्री से सम्बन्ध रखना-विभागीय जांच में दूसरी स्त्री का बयान न लेना, अभियोजन के लिये घातक-साक्ष्य के अभाव में आरोप स्थापित नहीं। पुरुष शासकीय सेवक का एक स्त्री से यौन संबंध रखना-क्या प्रतिषेधी कानून अनुपस्थिति में दुराचार है, हाँ। 256

नियम 22-क

अवचार की सामान्य धारणा

(General Concept of Misconduct)

1. नियम 257

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश

GBC Part I, Sl. No. 9 para 3 — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें- देखें नियम 3 के निर्देश। 257

नियम 22क के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) शासकीय आवास का रिक्त न करना कदाचार है- सेवक ने, कार्यालय की अनुमति से, अपने साथी के आवास में, जो मूल ग्राही (allottee) था, इस लिखित वचनपत्र 2

नियम 22-क

अवचार की सामान्य धारणा

अवचार की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में अधिनियमित निर्देशों या प्रतिबन्धों का उल्लंघन कर किया गया कोई भी कृत या अकृत म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन दण्डनीय माना जावेगा ।

[म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-5-1-83-3-1 दिनांक 7.12.1983 जो म.प्र. राजपत्र दिनांक 23.12.1983 के भाग-I पृष्ठ 153 पर प्रकाशित हुआ ।]

2. राज्य शासन के अनुदेश :

(1) आचरण नियम, 1965 के नियमों पर पूरक हिदायतें- देखें नियम 3 का (2)

नियम 22क के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय

(1) शासकीय आवास का रिक्त न करना कदाचार है- सेवक ने, कार्यालय की अनुमति से, अपने साथी के आवास में, जो मूल ग्राही (allottee) था, इस लिखित वचनपत्र के साथ रहता था कि जब मूल ग्राही, आवास खाली करेगा तब वह भी खाली कर देगा-किन्तु उसने ऐसा करने से इन्कार किया-अभिनिर्धारित, इसे उचित नहीं कहा जा सकता और न ही प्रोत्साहित किया जा सकता है- अतः अनुशासनिक कार्यवाही उचित-यह तर्क अस्वीकार किया गया कि आचरण नियम आकृष्ट नहीं होते।

एम.ए. जलील खान चतुर्थ श्रेणी का रेल सेवक था जिसे सुसंगत समय रेलवे आवास की पात्रता नहीं थी। सैय्याद रहीम जो आवास के ग्राही थे, सहमति से, उसे इस आवास में रहने की अनुमति इस वचन के साथ दी गई थी कि जब भी रहीम स्थानान्तर या अन्य आधार पर आवास रिक्त करेगा तो वह भी खाली कर देगा। मुख्य ग्राही ने 1-11-1987 को आवास रिक्त कर दिया। रेल प्रशासन के निर्देशों के बावजूद उसने आवास रिक्त करने से इन्कार कर दिया। प्राधिकारियों का मानना था, कि ऐसा आचरण, रेलवे आचरण नियमों के नियम 3 के विरुद्ध है। अतः उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई और वेतन रुपये 750-940 के न्यूनतम स्टेज पर तीन वर्ष के लिये वेतन घटाने और भविष्य में वेतनवृद्धि प्रभावित करने की शास्ति अधिरोपित की गई। विभागीय अपील में, नियमानुसार कार्यवाही कर सेवा से पदच्युत करने की शास्ति दी गई। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुम्बई का मत था कि शासकीय आवास रिक्त न करने पर आचरण नियम लागू नहीं होता, इसलिये शास्ति आदेश अपास्त किया गया। इसके विरुद्ध भारत संघ ने उच्चतम न्यायालय में अपील की।

(2) भारत संघ बनाम एम.ए. जलील खान : 1999 SCC (L&S) 637 : ने मत व्यक्त किया कि विधिक वचनपत्र देने के बावजूद आवास रिक्त करने की कृत्य को उचित और प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। अतः तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाहियाँ करना उचित था। तथापि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई शास्ति आरोप की गंभीरता की तुलना में कठिन है। अतः इसे अपास्त करे, अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति को कायम रखा गया। यदि प्रत्यर्थी ने आवास नहीं खाली किया है तो दो माह के भीतर खाली कर दे, वरना पदच्युत का आदेश कायम रखा जाएगा। यह निर्णय प्रत्यर्थी के आवास आवंटन बाबत् आवेदन-पत्र में देने के बाधक नहीं होगा ।

नोट :- अवचार को और भी स्पष्ट करने के लिए आचरण नियम '3' के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णयों को भी देखें ।

विशेष टिप्पणी- म.प्र. आचरण नियम 1965 का नियम अपने आप में स्पष्ट है। तथा नियम 3 के प्रावधानों का पालन प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किया जाना अनिवार्य आवश्यकता है। इसी प्रकार म.प्र. शासन द्वारा आचरण नियम 1965 में 22क जोड़कर अवचार की सामान्य धारणा को स्पष्ट किया गया है। निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए हैं-

(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

(2) म.प्र. भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982

कर्मचारियों को उनके द्वारा किये जाने वाले कृत्यों को और भी अच्छी तरह परिभाषित करते हैं। अतः उन्हें भी नियमों के साथ परिशिष्ट के रूप में शामिल किया गया है :-

(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (परिशिष्ट 'क')

(2) म.प्र. भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1982 (परिशिष्ट 'ख')

(3) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (परिशिष्ट 'ग')

- - - - -

के साथ रहता था कि जब मूल ग्राही, आवास खाली करेगा तब वह भी खाली कर देगा-किन्तु उसने ऐसा करने से इन्कार किया-अभिनिर्धारित, इसे उचित नहीं कहा जा सकता और न ही प्रोत्साहित किया जा सकता है- अतः अनुशासनिक कार्यवाही उचित-यह तर्क अस्वीकार किया गया कि आचरण नियम आकृष्ट नहीं होते।

नियम-23

मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग

(Consumption of Intoxication Drinks and Drugs)

1. नियम 259

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश 259

(1) GB.C. Part I, Sl. No. 9 Para 20 — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें। 259

(2) क्र. सी. 5-2/84/3/I दिनांक 16 मई, 1984 — मादक पेयों और औषधियों के सेवन के संबंध में आचरण नियमों में दिये गये उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता। 259

(3) एफ. क्र. सी-41/90/3/49 दिनांक 9 अगस्त, 1990 — शासकीय सेवा में नियुक्ति-कर्मचारियों से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अंतर्गत वचन-पत्र लेना। 260

3. नियम 23 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) ड्यूटी पर रहते हुए बस ड्रायवर का शराब पीना-अवचार 261

(2) पुलिस आरक्षक का रिवाल्वर सहित अधिकतम नशे की स्थिति में ड्यूटी पर होना-गंभीरतम अवचार का कृत्य, सेवा से पदच्युत उचित 262

नियम 23-क

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध

(Prohibition regarding Employment of Children below in 14 years of age)

1. नियम 263

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश

(1) क्र. सी.-5-1/93/3/एक दिनांक 27 सितम्बर, 2000 — शासकीय कर्मियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से गृह कार्य न करवाने बाबत। 263

नियम-24

निर्वचन

नियम-23

मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग

शासकीय सेवक -

(क) मादक पेयों या औषधियों संबंधी किसी विधि का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यक्रूपेण पालन करेगा;

[1][(ख) न तो किसी प्रकार का मादक पेय या औषधि लेगा और न ही उसके असर से उसके कर्तव्यों के पालन कर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा] ;

(ग) किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा;

(घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासतः अति उपयोग नहीं करेगा।

[2][स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिये 'सार्वजनिक स्थान' से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर (जिसमें वाहन सम्मिलित है), जिसमें जनता का संदाय करने पर या अन्यथा प्रवेश है या प्रवेश के लिए अनुज्ञात है।]

म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश :

(1) By the very nature of their position Government servants are expected to obey the laws for the time being in force and to set an example of law- abidingness to others citizens. The observance of this principle is particularly more important in relation to the laws on the subject or prohibition, as part from the obligations imposed by law, observance of these laws involves also the question of decency and suitable behaviour. Contraventions of prohibition laws, as also any other law, by a Government servant is therefore, regarded as a very serious matter. Accordingly, any breach of the prohibition laws on the part of a Government servant will render him liable to disciplinary action.

- Para 20 of GB. Part I, Serial No. 9

(2)

विषय :- मादक पेयों और औषधियों के सेवन के संबंध में आचरण नियमों में दिये गये उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता।

शासन के समस्त विभाग/कार्यालयों को यह ज्ञात है कि म.प्र. सिविल सेवा (आचरण), नियम, 1965 के नियम 23 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय सेवक-

(क) मादक पेयों या औषधियों संबंधी किसी विधि का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमे कि वह तत्समय हो, सम्यक्रूपेण पालन करेगा ।

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोई मादक पेय या औषधि नहीं पियेगा और न उसके प्रभाव में रहेगा ।

(ग) किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा ।

(घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यास्तः अति उपयोग नहीं करेगा ।

1. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. 472-962-एक (iii) दि. 12-6-1969 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र.सी. 5-1-96-3एक, दि. 25-5-2000 द्वारा जोड़ा गया।

शासन का ध्यान कुछ मामलों की ओर दिलाया गया है जहाँ उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन हुआ है। अतः उक्त उपबंधों के अनुसरण में दोहराया जाता है कि -

(1) प्रत्येक शासकीय सेवक मादक पेयों या औषधियों के सेवन संबंधी आचरण नियमों के उपबंधों का ईमानदारी से पालन करें;

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी आचरण नियमों के उपर्युक्त उपबंधों में शामिल मामलों के संबंध में सरकारी सेवकों के आचरण पर कड़ी निगाह रखें; और

(3) अनुशासनिक प्राधिकारी मध्यप्रदेश सिविल (आचरण) नियमावली, 1965 के नियम 23 के किसी उल्लंघन को बहुत ही गंभीरता से लें और उक्त नियम का उल्लंघन करने में दोषी पाये गये सरकारी सेवक पर कठोरतम दण्ड लगाने से न हिचकिचायें।

शासन के समस्त विभागों से निवेदन है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिये उनकी जानकारी अपने नियंत्रणाधीन सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों एवं शासकीय सेवकों को दें।

[म.प्र.शा.सा.प्र.वि.(2) क्र. सी. 5-2/84/3/1 भोपाल, दिनांक 16 मई, 1984]

(3)

विषय :- शासकीय सेवा में नियुक्ति-कर्मचारियों से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अंतर्गत वचन-पत्र लेना।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का मादक पेयों तथा औषधियों के उपयोग के निषेध संबंधी नियम-23 निम्नानुसार है :-

(क) मादक पेयों या औषधियों संबंधी किसी विधि का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यक्रूपेण पालन करेगा;

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोई मादक पेय या औषधि नहीं पियेगा, और न उसके प्रभाव में रहेगा;

(ग) किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा;

(घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासतः भी उपयोग नहीं करेगा।

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपर्युक्त नियम की भावना के अनुरूप राज्य शासन द्वारा अब यह और निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन की विभिन्न सेवाओं के (जिन पर ये आचरण नियम लागू हैं) विभिन्न पदों पर नियुक्ति के पश्चात् संबंधित शासकीय सेवकों से संबंधित विहित प्राधिकारियों द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र (संलग्न प्रपत्र के अनुसार) लिया जाए कि वे सार्वजनिक रूप से एवं अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन की अवधि में मद्यपान नहीं करेंगे।

3. उपर्युक्त निर्देशों से आप अपने अधीनस्थ कार्मिकों को अवगत करायें तथा घोषणा-पत्र प्राप्त कर, उनकी गोपनीय चरित्रावालियों में संलग्न करें।

4. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की रसीद मेरे नाम से, इस पत्र का संदर्भ देते हुए मुझे भेजें और इन निर्देशों का पालन सम्पूर्ण हो जाने पर एक सम्पूर्ण पालन प्रतिवेदन भी।

[म.प्र.शा.सा.प्र.वि.(3) एफ. क्र. सी-41/90/3/49 भोपाल, दिनांक 9 अगस्त, 1990]

घोषणा-पत्र

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं सार्वजनिक रूप से अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन की अवधि में मद्यपान नहीं करूंगा।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम, पद विभाग .....

- म.प्र. शासन, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्रमांक सी-4-1/90/3/49, दिनांक 9-8-1990.

नियम में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या- मध्यप्रदेश उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1915 (1915 का क्रमांक 11) में 'मादक औषधि', 'मादक पेय' तथा 'स्थान' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

(a) **"Intoxicating Drug"** means -

(i) the leaves, small stalks and flowering or fruiting tops of the Indian hemp plant (Cannablis Satwal) including all forms knows as 'bhang', 'sindhi' or 'ganja';

(ii) 'Charas' that is, the resin obtained from the Indian hemp plant, which has not been submitted to any manipulations other than those necessary for packing and transport;

(iii) any mixture, with or without natural materials, of any of the above forms of intoxicating drug or any drink prepared there from; and

(iv) any other intoxicating or narcotic substance which the State Government may, by notification, declare to be an imtoxicating drug, such substance not being opium coca leaf or a manufactured drug as defined in Section 2 of the Dangerous Drugs Act, 1930 (II of 1930) - Section 2 (12).

(b) **"Intoxicating Drink or Liwuor"** includes spirits of wine, spirits, wine, tari' beer, all liquids containing alcohol, and any substance which the State Government may, by notification, declare to be liquor for purposes of this Act- - Section 2 (13)

(i) 'Spirit' means any liquor containing ascohol obtained by distillation, whether it is denatured or not. - Section 2 (17)

(ii) 'Tari' means fermented or unfermented juice drawn from any kind of palm tree. - Section 2 (18)

(iii) 'Beer' includes ale, stout, porter, and all other fermented liquors usually made from malt. - Section 2 (1)

(c) **'Place'** includes house, building, shop, booth, tent, enclosure, space, vessel, raft and vehicle. - Section 2 (15)

- - - -

नियम 23 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय

(1) ड्यूटी पर रहते हुए बस ड्रायवर का शराब पीना-अवचार- जसवन्त सिंह पेम्सू सड़क परिवहन कार्पोरेशन में ड्रायवर था। ड्यूटी पर रहते हुए उसने शराब पी। सुसंगत स्थाई आदेशों के अंतर्गत उसने अवचार किया। जांच स्थापित की गई और उसे पदच्युत किया गया। श्रम न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पदच्युत कठोर शास्ति मानते हुए, पिछली मजदूरी न देते हुए सेवा में बहाली का आदेश दिया। किन्तु उच्च न्यायालय ने इसे अनुचित माना और पदच्युत की शास्ति की पुष्टि की। विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में जसवन्त सिंह ने अपील की। जसवन्स सिंह बनाम

पेप्सू रोडवेज ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन : AIR (1984) SC 355 : (1984) 1 SCC 35 : 1984 SCC (L&S) 61 : के उपरोक्त मामले में अपील अंशतः स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि-

"हमारा यह मत स्पष्ट है कि सवारी बस या मशीन से चलित वाहन को चालक ड्यूटी पर नशे की हालत में वाहन नहीं चला सकता और न ही चलाना चाहिये क्योंकि इससे केवल बस की सवारियों को ही खतरा नहीं होता बल्कि सड़क पर चलने वालों को भी खतरा होता है। तथापि, अपीलार्थी के आचरण को देखते हुए कि यह उसका प्रथम अपराध है, श्रम न्यायालय का मत था कि मामले के तथ्यों को देखते हुए पदच्युत कठोर शास्ति थी और यह उपयुक्त नहीं थी, अतः उसने शास्ति कम की थी। किन्तु पिछली मजदूरी का न देना उचित शास्ति नहीं थी क्योंकि सद्धि अवचार के लिये यह शास्ति पर्याप्त नहीं है। अपीलार्थी को पूर्ण रूप से आचरण में रखने के लिये हमारे मत में, एक और शास्ति की आवश्यकता है तथा अधिरोपित करना चाहिये ताकि हमारे मानवतावादी साहश्य उसे नशाखोरी हेतु दोबारा प्रवृत्त न करे। अतः हम निर्देशित करते हैं कि अपीलार्थी जिस वेतनमान में बहाल हो उसमें 3 वेतन वृद्धियाँ अगले तीन वर्षों तक न दी जायें। दूसरे लाभों के लिये वह सेवा में लगातार बना रहना समझा। इस सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।"

(2) पुलिस आरक्षक का रिवाल्वर सहित अधिकतम नशे की स्थिति में ड्यूटी पर होना- गंभीरतम अवचार का कृत्य, सेवा से पदच्युत उचित- राम सिंह, पुलिस आरक्षक दिनांक 6-9-1979 की शाम को रिवाल्वर धारित करते हुये अधिकतम नशे की स्थिति में बस स्टेण्ड पर ड्यूटी पर था। यातायात आरक्षक ने बड़ी कठिनाई से जीप में उसे पुलिस थाना लाया, रिवाल्वर जमा किया और चिकित्सा परीक्षण के समय डाक्टर से भी झगड़ा किया। डाक्टर ने अधिकतम नशे बाबत प्रमाणित किया। पंजाब पुलिस मैन्युअल, 1934 के नियम 16.2 (1) के उल्लंघन के परिणामस्वरूप, विभागीय जांच के बाद, उसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया। यह नियम निम्नानुसार है :-

'Rule 16.2 (1) Dismissal shall beawarded only for the gravest acts of misconduct or as the cumulative effect of continued misconduct proving incrorrigibility and complete unfitness for police service, in making such an award regard shall be had to the lengh of serevice of the offender and his claim to pension.

उच्चतम न्यायालय ने **पंजाब सरकार बनाम सिंह, भूतपूर्व आरक्षक** : (1992) 4 SCC : 54 : 1992 SCC (L&S) 793 : के उपरोक्त मामले में इस प्रश्न पर विचार किया कि उपरोक्त नियम के अर्थ के अंतर्गत क्या प्रत्यर्थी का आचरण गंभीरतम अवचार में आता है। सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए और **भगवती प्रसाद बनाम पुलिस महानिरीक्षक** : AIR 1970 P&H 81 : ILR (1968) 1 Punj. 368 : के निर्णय से सहमति व्यक्त करते यह मत व्यक्त किया कि -

'हमें तनिक भी शंका नहीं है कि प्रत्यर्थी, आरक्षक रहते हुए और रिवाल्वर रखते हुए, ड्यूटी पर था, जबकि उसने ड्यूटी पर शराब पी और उच्छृंखल हो गया। कार्यालय काल के बाहर कोई भी मादक पेयों का सेवन कर घर में रह सकता है। मादक पेयों का सेवन करना स्वयं में अवचार नहीं भी हो सकता। किन्तु पुलिस सेवा जैसे अनुशासनिक सेवा में ड्यूटी पर रहते हुए कार्मिक को अनुशासित रहना चाहिये तथा पीने का सहारा या ड्यूटी पर नशे की स्थिति में नहीं होना चाहिये। इसलिये सेवा में पदच्युत करने के लिये यह गंभीरतम अवचार संस्थापित होता है।'

- - - - -

नियम-25
शक्तियों का प्रत्यायोजन
(Delegation of Powers)

1. नियम 265
2. शक्तियों का प्रत्यायोजन इन नियमों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियाँ 265

नियम-26
निरसन द्वारा व्यावृत्ति
(Repeal and Saving)

1. निरसित नियम 267

परिशिष्ट
(Appendix)

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 268
(ख) मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 282
(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 299
(घ) आचरण नियम अनुसार कार्य जिन्हें करने के पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है तथा कार्य जिसमें स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है का परिशिष्ट 304
(ङ) शासकीय कर्मचारी अपने कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान क्या करें ? और क्या न करें ? 306

- - - - -

[1]नियम 23-क

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध

कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगाएगा।

म.प्र. राज्य शासन के निर्देश :

विषय :-शासकीय कर्मियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से गृह कार्य न करवाने बाबत।

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 संशोधन क्रमांक सी-5-1/96/3/एक, दिनांक 25-5-2000.

उपरोक्त विषय के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा के आधार पर संदर्भित अधिसूचना दिनांक 25-5-2000 द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में राज्य सरकार द्वारा नियम 23-क निम्नानुसार जोड़ा गया है :-

"नियम 23 "क" 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध-

कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा।"

2. कृपया आचरण नियम के उपरोक्त प्रावधानों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करायें तथा इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें।

[म.प्र.शा.सा.प्र.वि.क्र. सी.-5-1/93/3/एक भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2000]

- - - - -

1. After Rule 23, Rule 23-A inserted vide M.P., GAD. Notification No. F.C. 5-1-96-3-I, dt. 25-5-2000 published in M.P. Rajpatra dt. 25-5-2000 at page 669 to 670 (6).

के साथ, चरित्र-निर्माण की चासनी मिलाना ही सच्चे अर्थ में शिक्षण कार्य है।

अध्यापन के सम्बन्ध में, शासकीय अपेक्षाओं में, चरित्र-निर्माण किए जाने के लिए कोई अलग से आदेश प्रसारित नहीं होता है। वास्तव में अध्यापन के साथ चरित्र-निर्माण और मानव-मूल्यों की शिक्षा देना, एक छिपा-कार्यक्रम (Hidden agenda) होता है, जो शिक्षक को सच्चे गुरू का दर्जा देता है।

8. विषय-ज्ञान की उपयोगिता, विद्यार्थी को तात्कालिक लाभ देती है, परन्तु विषय-ज्ञान के साथ उसे विवेक और बुद्धिमानी सदृश मानवगुणों का मूल्य बताना सच्ची और चिरस्थायी शिक्षा होती है।

General Duties and Conduct of the College Teacher :

[Source : UGC. Act 1956, College Code, Statute No. 28, Part VI, Section 16]

25. (1) Every teacher including the Principal shall at all times maintain absolute **integrity** and **devotion to** duty and shall do nothing which is unbecoming of a teacher.

(2) **No** member of the teaching staff except a part-time teacher of a college **shall apply for any post under** any other authority except **through the Principal** and in the case of the Principal through the Chairman of the Governing Body.

(3) A teacher, other than a part-time teacher, shall be a **whole-time employee of the college** and shall not without the previous approval of the Principal/Governing Body, engage himself in **private tuition** or in any **trade** or **business** or take up any occupation or work (other than as an examiner or author of books) which is likely to interfere with the duties of his appointment.

(4) No teacher shall except with the prior written sanction of the Principal/ Governing Body **participate in the editing** or management **of any newspaper** or **periodical** other than learned journals :

Provided that part-time teachers of Journalism shall be exempted from the operation of this sub-paragraph.

(5) (a) A teacher shall obey **all lawful directions of the Principal** and the **Governing Body** of the college. He shall, in addition to the ordinary duties as a teacher perform such other duties as may be entrusted to him by the **Principal** in connection with the **co-curricular** and **extra-curricular** activities in the college or duties in connection with **examinations**, **administration** and the keeping of **discipline** in the college.

(b) No teacher shall be required to teach for more than **twenty four*** periods (including those for tutorial work) in a week :

---

* शिक्षक के दिवस एवं पीरियड आदि के लिए यू.जी.सी. द्वारा जारी कार्यभार सम्बन्धी निर्देशों 1998 का अवलोकन करें।

के साथ, चरित्र-निर्माण की चाशनी मिलाना ही सच्चे अर्थ में शिक्षण धर्म है।

अध्यापन के सम्बन्ध में, शासकीय अपेक्षाओं में, चरित्र-निर्माण किए जाने के लिए कोई अलग से आदेश प्रसारित नहीं होता है। वास्तव में अध्यापन के साथ चरित्र-निर्माण और मानव-मूल्यों की शिक्षा देना, एक छिपा-कार्यक्रम (Hidden agenda) होता है, जो शिक्षक को सच्चे गुरू का दर्जा देता है।

8. विषय-ज्ञान की उपयोगिता, विद्यार्थी को तात्कालिक लाभ देती है, परन्तु विषय-ज्ञान के साथ उसे विवेक और बुद्धिमानी सदृश मानवगुणों का मूल्य बताना सच्ची और चिरस्थायी शिक्षा होती है।

General Duties and Conduct of the College Teacher :

[Source : UGC. Act 1956, College Code, Statute No. 28, Part VI, Section 16]

25. (1) Every teacher including the Principal shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall do nothing which is unbecoming of a teacher.

(2) No member of the teaching staff except a part-time teacher of a college shall apply for any post under any other authority except through the Principal and in the case of the Principal through the Chairman of the Governing Body.

(3) A teacher, other than a part-time teacher, shall be a whole-time employee of the college and shall not without the previous approval of the Principal/Governing Body, engage himself in private tuition or in any trade or business or take up any occupation or work (other than as an examiner or author of books) which is likely to interfere with the duties of his appointment.

(4) No teacher shall except with the prior written sanction of the Principal/ Governing Body participate in the editing or management of any newspaper or periodical other than learned journals :

Provided that part-time teachers of Journalism shall be exempted from the operation of this sub-paragraph.

(5) (a) A teacher shall obey all lawful directions of the Principal and the Governing Body of the college. He shall, in addition to the ordinary duties as a teacher perform such other duties as may be entrusted to him by the Principal in connection with the co-curricular and extra-curricular activities in the college or duties in connection with examinations, administration and the keeping of discipline in the college.

(b) No teacher shall be required to teach for more than twenty four* periods (including those for tutorial work) in a week :

---

* शिक्षक के दिवस एवं पीरियड आदि के लिए यू.जी.सी. द्वारा जारी कार्यभार सम्बन्धी निर्देशों 1998 का अवलोकन करें।

Provided that no part-time teacher shall be required to teach for more than twelve periods in a week.

(6) (i) No teacher shall act in a manner prejudicial to the interests of the college or associate himself with any activity, which, in the opinion of the Principal/ Governing Body might affect adversely the interests of the college.

(ii) No teacher shall be a member of or be otherwise associated with any political party or any organisation which takes part in politics nor shall he take part in aid of or assist in any other manner any political movement or activity nor shall he canvass or otherwise interfere in or use his influence in connection with or take part in any election to any legislature or local authority :

Provided that –

(a) an employee qualified to vote at such election may exercise his right to vote but where he does so, he shall not give any indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;

(b) the employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this paragraph by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

(7) All teachers shall be governed by the rules of conduct if any, framed by the Government/Governing Body in conformity with the Adhiniyam, the Statutes, Ordinances, and Regulations of the University.

(8) Any infringement of the provisions of the college code shall be regarded as restraining of good discipline and would amount to misconduct and may well justify the initiation of disciplinary action against such teacher.

❑ **Duties of the Teacher of the College–Part VI**

[Source : College Code Statute No. 28, Part VI, University Grants Commission Act. 1956.

[मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था विधि संग्रह 1997 सी.पी. सिंह, सुविधा लॉ हाऊस, भोपाल. पृष्ठ 323.]

महाविद्यालय में विभागाध्यक्षों के कार्यों के सम्बन्ध में

[स्रोत : आयुक्त, उच्च शिक्षा के नीति पत्र क्र. 1529/860/आ.उ.शि./शाखा–1/2005, दिनांक 15 जून 2005। पेज 1, पेरा बिन्दु (क) 2, 4, पेरा 2 बिन्दु ग आदि]

महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों में सामान्यतः वरिष्ठ (Senior most) शिक्षक को, विषय विशेष विभाग का विभागाध्यक्ष या विभाग प्रमुख का दायित्व सौंपा जाता है। इन वरिष्ठ शिक्षकों (प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक) को अपने विभाग में विषय का अध्यापन कार्य करने के

साथ, विभाग को निर्बाध ढंग से चलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। स्नातकोत्तर विभाग और प्रायोगिक कार्य वाले विषयों में विभागाध्यक्ष का दायित्व और विस्तृत एवं गम्भीर होता है।

विभागाध्यक्ष के सामान्य कार्य निम्नानुसार होते हैं :–

1. महाविद्यालय के मास्टर टाइम-टेबल में विभाग का आन्तरिक टाइम-टेबल तैयार करना;

2. विभाग के शिक्षकों में उनकी विषय-सम्बन्धी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में पेपर-वार अध्यापन कार्य आवंटन करना;

"प्राचार्य द्वारा विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाये कि वे विभाग के समस्त शिक्षकों द्वारा सही समय में कक्षायें ली जा रही है, सुनिश्चित करें। प्रत्येक विभागाध्यक्ष, अपने विभाग के शिक्षकों से, साप्ताहिक टीचिंग प्रोग्राम प्राप्त करे और सप्ताह के अन्त में उक्त कार्यक्रम के अनुसार किए गए शिक्षण कार्य का प्रतिवेदन, यदि किसी शिक्षक ने कक्षा नहीं ली है, अथवा अनुपस्थित रहे हैं तो उसकी सूचना भी प्राचार्य को दी जावे"।

[ऊपर दिए नीति पत्र के पृष्ठ 1 में बिन्दु (क)– (2)]

3. अपने विभाग के शिक्षकों की उपस्थिति (डेली डायरी के माध्यम से) और शिक्षक द्वारा पूरे वर्ष का शिक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा एवं अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्राचार्य के पास जमा किया जाएगा।

अपने विभाग के शिक्षकों द्वारा पढ़ाये जाने वाले पीरियडों का दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक ब्यौरा रखना।

[आयुक्त, उच्च शिक्षा के नीति पत्र दिनांक 15-6-2005 पे. 2 बिन्दु (ग)]

4. "शिक्षकों के कक्षावार/विषयवार उपस्थिति रजिस्टरों की प्रविष्टियों की जांच करना, उनका मासिक सत्यापन करना कि विद्यार्थियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति नियम रूप दर्ज हो रही है। माह के अन्त में विभाग के सभी उपस्थिति रजिस्टर प्राचार्य के प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करना"।

"प्राचार्य द्वारा निर्देशित प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को अपराह्न बुलाई गई विभागाध्यक्षों की बैठक में उपस्थित होना और उस माह में किए गए शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों की समीक्षा में सक्रिय योगदान देना। जहां कहीं त्रुटि नजर आती है तो प्राचार्य द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार अगले महीने में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाना।

5. शिक्षण कार्य का प्राचार्य द्वारा निरीक्षण किए जाने पर यथासम्भव स्वयं भी उपस्थित रहकर अपना सक्रिय योगदान देना;

[आयुक्त, उच्च शिक्षा नीति पत्र दिनांक 15-6-2005, पे. 2 बिन्दु (ग)]

6. भंडारधारी एवं विज्ञान विभागों के विभाग प्रमुखों को उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त भंडार-सामग्री का नियमानुसार क्रय, उपयोग एवं रख-रखाव का अतिरिक्त कार्यभार होता है। विभागाध्यक्षों को भंडार क्रय नियमों के साथ, उनके वित्तीय नियंत्रण की जानकारी भी आवश्यक होती है ताकि वे स्टॉक रजिस्टर आदि अन्य लेखीय प्रलेखों का विधिवत अनुरक्षण कर सकें।

7. भंडारधारी विभागों के विभाग प्रमुख को प्रयोगशालाओं के सुव्यवस्थित संचालन के साथ, प्रयोगशाला कर्मचारियों के कर्तव्यों पर प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय नियंत्रण रखना और उन्हें मार्गदर्शन देना भी आवश्यक होता है।

8. सत्र के अन्त में विभागीय स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं अपलेखन आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का नियमानुसार सम्पादन करना भी विभागाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है।

9. इन कार्यों के अतिरिक्त, प्राचार्य द्वारा विभाग एवं महाविद्यालय के संचालन एवं विकास से सम्बन्धित सौंपे गए कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करना भी विभाग प्रमुख की जवाबदेही होती है।

विभाग प्रमुख के इन प्रशासनिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए शासन ने उनके कार्यभार में छूट देने का प्रावधान रखा है।

[देखिए : यू.जी.सी. का शिक्षकों के लिए कार्यभार सम्बन्धी निर्देश 1998 पृष्ठ 13–14, सारांश में उद्धरित]

☐ महाविद्यालय के अन्य अकादमिक * पद

ग्रन्थपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी वे अधिकारी हैं, जो महाविद्यालय के महत्वपूर्ण विभाग क्रमशः ग्रन्थालय एवं क्रीड़ा विभाग के प्रभारी अधिकारी होते हैं।

ग्रन्थपाल की सहायता के लिए, सहायक ग्रन्थपाल (तृतीय श्रेणी कर्मचारी) एवं बुक लिफ्टर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) आदि के पद स्वीकृत होते हैं। इसी प्रकार क्रीड़ा अधिकारी की सहायता कोर्टमैन, अंशकालीन आकस्मिक सेवा कर्मचारी या दैनिक मजदूरी में कार्य करने वाले पूर्णतः अस्थायी व्यक्ति की व्यवस्था की जाती है। उपर्युक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विशिष्ट कार्यों का उल्लेख संबंधित शाखा के अध्याय में किया गया है।

11 ग्रन्थपाल

[स्रोत : *प्राचार्य दिग्दर्शिका*, 1987, पृ. vi, 23, 24, 33, 34, 39, 40]

"ग्रन्थपाल एक द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी होता है। प्रत्येक महाविद्यालय में पदस्थ ग्रन्थपाल, ग्रन्थालयों के संचालन सम्बन्धी कार्यों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है।"

☐ ग्रन्थपाल के सामान्य कार्य

[स्रोत : *प्राचार्य दिग्दर्शिका*, 1987, पृ. 23, 24, 33, 34]

1. ग्रन्थालय के कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना, ग्रन्थपाल का आधारभूत कर्तव्य है।

ग्रन्थपाल, पूर्व में यह कार्य, ग्रन्थालय समिति और ग्रन्थालय प्रभारी प्राध्यापक के सहयोग और मार्गदर्शन में करता था परन्तु यह व्यवस्था 17-12-1998 के एक आदेश से समाप्त कर दी गई है (इस आदेश की छाया प्रति, आगे बारहवें अध्याय– (ग्रन्थालय एवं वाचनालय में– शासनादेशों के संकलन में दी गई है)। इसके स्थान में 'ग्रन्थालय सलाहकार समिति' का गठन उपयोगी सिद्ध हो सकता है (देखिए अध्याय पाँचवाँ, 'महाविद्यालयीन कार्यप्रणाली' में महाविद्यालयीन परामर्शदात्री एवं समितियों के अन्तर्गत ग्रन्थालय सलाहकार समिति/ग्रन्थालय समिति)।

2. ग्रन्थालय के लिए सभी आवश्यक पुस्तकें, ग्रन्थ, फर्नीचर, अलमारी एवं उपकरण आदि की नियमानुसार खरीदी करने की कार्यवाही करना;

---

* ग्रन्थपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के लिए, अकादमिक पद का प्रयोग यू.जी.सी. द्वारा नए वेतनमान के लिए जारी अधिसूचना 1998 के पृष्ठ 19 एवं 26 पर आधारित है।

PRINCIPAL
Govt. Pataleshwar College
Mastur, Distt.-Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
GOVT PATALESHWAR COLLEGE
MASTURI, DISTT- BILASPUR C.G.

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013

(क्रमांक 14 सन् 2013)[1]

[22 अप्रैल, 2013]

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण और प्रतितोषण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

यतः, लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन समानता और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवहार करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है;

और यतः, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है;

और यतः, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबन्ध करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

---

1. राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हुई और भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 1 दिनांक 23 अप्रैल, 2013, पृष्ठ 1-12, क्र. 18 पर अंग्रेजी में प्रकाशित।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ-- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "व्यथित महिला" से अभिप्रेत है,-

(i) किसी कार्यस्थल के संदर्भ में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अध्यधीन रहने का अभिकथन करती है;

(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संदर्भ में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे निवास स्थान या गृह में नियोजित हो;

(ख) "समुचित सरकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,-

(अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, केन्द्रीय सरकार;

(आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, राज्य सरकार।

(ii) खण्ड (i) के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, राज्य सरकार;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "जिला अधिकारी" से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "घरेलू कर्मकार" से ऐसी महिला अभिप्रेत है जो चाहे नगद या वस्तु रूप में पारिश्रमिक के लिए किसी गृह में गृह-कार्य को करने के लिए, चाहे प्रत्यक्षतः या किसी अभिकरण के माध्यम से, अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किन्तु इसमें नियोजक के परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है;

(च) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकर्ता, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, के माध्यम से प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या नहीं, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हों या नहीं और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, शिक्षु, प्रशिक्षु या किसी अन्य ऐसे नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है;

(छ) "नियोजक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी, जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ii) उपखण्ड (i) के अन्तर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति;

स्पष्टीकरण-- इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए "प्रबन्ध" में सम्मिलित है ऐसे संगठन के लिए नीतियों को बनाने और प्रशासन के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति या बोर्ड या समिति;

(iii) उपखण्ड (i) और (ii) के अधीन आने वाले कार्यस्थल के संबंध में वह व्यक्ति जो उसके कर्मचारियों की बाबत् संविदाजात बाध्यता का निर्वहन कर रहा हो;

(iv) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, कोई व्यक्ति या गृहस्थी जो घरेलू कर्मकार को नियोजित करे या उसके नियोजन से लाभ प्राप्त करे, इस प्रकार नियोजित कर्मकारों की संख्या, कालावधि या प्रकार, अथवा घरेलू कर्मकार के नियोजन की प्रकृति या उसके द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों पर विचार किये बिना;

(ज) "आंतरिक समिति" से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति अभिप्रेत है;

(झ) "स्थानीय समिति" से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति अभिप्रेत है;

(ञ) "सदस्य" से, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) "पीठासीन अधिकारी" से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) "प्रत्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है;

(ढ) "लैंगिक उत्पीड़न" के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवांछनीय कृत्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तात्पर्यित) सम्मिलित है, अर्थात्-

(i) शारीरिक सम्पर्क और अग्रक्रियाएं करना; या

(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई माँग या अनुरोध करना; या

(iii) लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ करना; या

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या

(v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर-शाब्दिक आचरण करना;

(ण) "कार्यस्थल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,-

(i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या किसी निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या भागतः, उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;

(ii) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट वेन्चर, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर-सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाय, विक्रय, वितरण या सेवा भी है;

(iii) अस्पताल या परिचर्या गृह;

(iv) कोई खेलकूद संस्था, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतियोगिता अथवा खेल का स्थान, जो चाहे नैवासिक हो या प्रशिक्षण, खेलकूद या इससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में प्रयुक्त न किया जाता हो;

(v) नियोजन, से उद्भूत या के दौरान, कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई स्थान जिसमें सम्मिलित है ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन;

(vi) कोई निवास स्थान या गृह;

(ट) किसी कार्यस्थल के संबंध में, "असंगठित सेक्टर" से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यष्टियों या स्वःनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी भी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहाँ उद्यम कर्मकारों को नियोजित करता है, वहाँ ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से कम है।

3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण-- (1) कोई भी महिला, किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं होगी।

(2) अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ निम्नलिखित परिस्थितियाँ, यदि वह लैंगिक उत्पीड़न के किसी कृत्य या आचरण के संबंध में या से सम्बद्ध होने के कारण हुई हैं या विद्यमान हैं, तो वह लैंगिक उत्पीड़न होगा-

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी; या

(iii) उसकी वर्तमान या भावी नियोजन प्रास्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी; या

(iv) किसी व्यक्ति का ऐसा आचरण, जो उसके कार्य में हस्तक्षेप करता है या उसके लिए अभित्रासमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करता है; या

PRINCIPAL
Govt. Pateleshwar College
Masturi Distt. Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
GOVT. PATALESHWAR COLLEGE
MASTURI DISTT. BILASPUR (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन,

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान

National Foundation for Communal Harmony

(गृह मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)

[An autonomous orgainsation under the Ministry of Home Affairs, Govt. of India]

No. 5/12016-NFCH

New Delhi, the 1st September, 2016

To

The Chief Secretary,
Government of Chhattisgarh,
Raipur, Chattisgarh

Subject: Observance of the Communal Harmony Campaign Week from 19th to 25th November, 2016 and the Flag Day on 25th November, 2016 (Friday) of the National Foundation for Communal Harmony - materials regarding-

Dear Sir/ Madam,

The National Foundation for Communal Harmony (NFCH) observes the Communal Harmony Campaign week every year from 19th to 25th November. The last working day of this week is celebrated as Flag Day of the Foundation. Accordingly, this year also the Communal Harmony Campaign Week will be observed from 19th to 25th November 2016 and the Flag Day will be observed on 25th November, 2016 (Friday). While the flag day spreads the message of communal harmony and National integration, it is also utilised for fund raising to enhance the resources of the Foundation to carry out its activities on various schemes and projects as specified in the enclosed Brochure.

2. Besides promotion of communal harmony and National integration through a number of activities, the Foundation provides financial assistance to children rendered orphan or destitute in communal, caste, ethnic or terrorist violence for the their care, education and training for their effective rehabilitation, under project 'Assist' of the Foundation.

3. The NFCH had received a modest corpus from the Government of India in 1992. The interest earned thereon is not adequate to carry forward

and expand our activities. Therefore, while observing the Communal harmony Campaign Week and Flag Day, the Foundation utilizes the opportunity to generate additional resources by raising funds through voluntary contributions. For this purpose a sufficient number of flag stickers are being sent to your orgainzation. The mission to promote communal harmony and Nationa integration merits whole hearted support from all sections of the society. NFCH would like to appeal to you for your active participation to achieve its noble mission.

4. You will appreciate that, having regrad to the noble objectives of the Foundation, it would be necessary and appropriate to involve all officers, employees and the public at large in the observance of the Communal Harmony Campaign Week for spreading the message of peace and harmony. You are requested to organize intensive campaign for sensitizing all concerned about the need for fostering communal harmony, National integration and fraternity through appropriate programmes and activites. A brief report with photographs on the observacne of the CHC week and Flag Day would be appreciated.

5. The following material is sent herewith to facilitate observance of the Communal Harmony Campaign week and the Flag Day of the Foundation. Additional material, if required, may be obtained from the Foundation :

	I	II	III	IV	V
Flag stickers	100	200	300	500	1000
Posters	2	2	2	4	4
Wrappers for collection box	1	1	1	2	2
Brochure of the NFCH	1	1	1	2	2
Pamphlets about CHC					

6. The Foundation shall be grateful if you kindly issue suitable instructions for observing the Communal harmony Compaign Week and the Flag Day in your orgainsation(s) and also for collection of maximum contribution on voluntary basis. You may take setps as outlined in the enclósed Annecure. All donation to the NFCH are eligible for 100% exemption from income tax under section 80G (2)[iii(c)] of the Income Tax Act, 1961. The Permanent Account Number (PAN) of the Foundation is AAATNO562A.

7. It is once again requested that personal interest may be taken to spread the message of peace, communal harmony and Natiional integration and to make the fund raising effort a grand success.

Yours faithfully,

(Awadh Kumar Singh)
Secretary, NFCH

- - - - -

PRINCIPAL
Govt. Pateleshwar College
Masturi, Distt. Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
GOVT. PATELESHWAR COLLEGE
MASTURI, DISTT. BILASPUR (C.G.)